खंड-1; अंक-2
दिनांक: 20 जुलाई 2024

जन विज्ञान समाचार पत्रिका

AIPSN न्यूज़लेटर

सलाहकार समिति

सत्यजित रथ डी रघुनन्दन सब्यसाची चैटर्जी
प्रज्ज्वल शास्त्री टी गंगाधरन सत्यजित चक्रबर्ती
कोमल श्रीवास्तव पी. राजमनिक्कम् प्रमोद गौरी

संपादक

इंद्रनील

संपादकीय टीम

एस. कृष्णास्वामी बिप्लब घोष ऋचा चिंतन
कविता कबीर अरुण रवि आशा मिश्रा

डिज़ाइन

अरुण रवि

चित्र सौजन्य – इस संस्करण में कुछ चित्र AI टूल की मदद से बनाए गए हैं –
Image Creator from Bing

AIPSN न्यूज़लेटर
खंड-1; अंक-2
दिनांक: 20 जुलाई 2024

20
24
जुलाई

जन विज्ञान समाचार पत्रिका

जन विज्ञान AIPSN की एक समाचार पत्रिका है।
AIPSN पूरे भारत में फैले चालीस से अधिक
विज्ञान संगठनों का एक समूह/नेटवर्क है।

विषयसूची

04 संपादकीय

05 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर स्थिति पत्र

12 शिक्षा बचाओ अभियान के अंश

19 कला जत्था: एक रिपोर्ट

24 राष्ट्रीय शिक्षा सभा

30 एनईपी: शिक्षा के साम्प्रदायिकीकरण और बाज़ारीकरण का एक माध्यम: आर बिंदू

36 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023: गंभीर विकृतियाँ और पुनर्गठन: अनीता रामपाल

42 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पर वक्तव्य

45 यूजीसी पाठ्यक्रम के नाम, नामकरण परिवर्तन पर प्रतिक्रिया

पीछे का कवर

AIPSNPEOPLESCIENCE@GMAIL.COM

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

हम समाचार पत्र के इस अंक को "शिक्षा बचाओ देश बचाओ" अभियान पर विशेष अंक के रूप में ला रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के ख़िलाफ़ प्रतिरोध विकसित करने के संदर्भ में चलाया गया था। NEP 2020 में ग़ैरकानूनी रूप से लागू की गई (चूँकि यह संसद में पारित नहीं हुई)। AIPSN शुरुआत से ही NEP के कुछ अत्यधिक विवादास्पद प्रावधानों के ख़िलाफ़ बहुत मुखर रहा है।

AIPSN ने NEP के ख़िलाफ़ संघर्ष को व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की और ऐसे अन्य नेटवर्कों और निकायों के साथ हाथ मिलाया जिनकी NEP को लेकर समान चिंताएँ थीं जैसे शिक्षा के अधिक निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होना और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कुछ प्रगतिशील प्रावधानों को रद्द करने का प्रयास होना। ।

हमें गहरी चिंता है कि देश भर में कई स्कूल बंद हो रहे हैं, जबकि महामारी के दुर्बल परिणाम के रूप में लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। AIPSN ने पंद्रह अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। हमने राज्य और ज़िला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किये, कई परामर्श और वेबिनार आयोजित किए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में कला जत्थों का आयोजन किया। यह अभियान की एक बहुत ही समृद्ध यात्रा थी जिसका समापन अप्रैल के अंत में राष्ट्रीय शिक्षा सभा के रूप में दिल्ली में हुआ। सभा में बीस राज्यों से पाँच सौ से अधिक लोग एकत्र हुए। सभा ने NEP को अस्वीकार करने और शिक्षा के निजीकरण का विरोध करने के आह्वान के साथ माँग और घोषणा पत्र जारी किया। इस अंक में हम अभियान के अनुभव का सारांश, कला जत्थों का सार, कुछ चुनिंदा स्थिति पत्र, कुछ भाषणों की एक झलक और राष्ट्रीय सभा के बाद राज्यों में किए गए अनुवर्ती कार्य का सारांश दे रहे हैं। NEP के प्रतिगामी प्रावधानों के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे कि हर बच्चा स्कूल जाए और सभी के लिए शिक्षा का सपना साकार हो।

हमारा आह्वान - NEP को अस्वीकार करो ! शिक्षा बचाओ! देश बचाओ!

संपादकीय टीम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर स्थिति पत्र

(NEP 2020 अभियान से संबंधित सामग्री https://aipsn.net की संसाधन साइट पर देखी जा सकती है)

संघीयता का अभाव

NEP 2020 अत्यधिक केंद्रीकृत है और शिक्षा जैसे विषय पर राज्यों के अधिकारों में भारी हस्तक्षेप करता है जिसके लिए राज्य विधायकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। राज्यों की विधानसभाओं में चर्चा ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से NEP 2020 के कई पहलुओं को केंद्र और कुछ राज्यों द्वारा पहले से ही लागू किया जा रहा है जो कि भागीदारी और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को विफल करता है। NEP 2020 के चलते तेज़ी से बढ़ता केंद्रीकरण, संघीयता और राज्यों के अधिकारों को नष्ट कर देगा। भले ही शिक्षा समवर्ती सूची में है, NEP 2020 के तहत राज्यों का काम केवल परीक्षाओं, प्रवेश, मानकों, वित्त पोषण और मूल्यांकन के क्षेत्र में केंद्र द्वारा थोपी गई नीतियों को लागू करना रह जाएगा और वो भी केंद्रीय एजेंसियों की देखरेख में और केंद्र द्वारा थोपी गई पाठ्य पुस्तकों के साथ। NEP 2020 शिक्षा को राज्य-विशेष प्रारूप देने के लिए लगभग कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है जो भारत में मौजूद सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता के कारण आवश्यक है। इससे यह और भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य विधानसभाओं में विचार-विमर्श किया जाए, राज्य सरकारों द्वारा रुख अपनाया जाए और शिक्षा और NEP 2020 प्रस्तावों पर राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए राज्यों में जनता की राय जुटाई जाए। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति NEP 2020 के राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों के आह्वान में भी परिलक्षित होती है जो कथित तौर पर स्थानीय विषय-वस्तु और कलेवर की बात करता है। इसके बजाय एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा अपनाने की ज़रूरत है जिसमें राज्यों को अपनी पाठ्यपुस्तक सामग्री विकसित करने की अनुमति हो। पाठ्यक्रम और सामान्य तौर पर स्कूलों में भारतीय समाज और संस्कृति के संघ परिवार के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने की स्पष्ट रूप से प्रदर्शित इच्छा में केंद्रीकरण अधिक भयावह आयाम ग्रहण करता है। स्कूली शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात करने के बावजूद एनईपी 2020 में धर्मनिरपेक्षता शब्द एक बार भी नहीं आता है। साथ ही, एनईपी2020 आदिवासी और देशज ज्ञान का केवल क्षणिक संदर्भ देता है जो दर्शाता है कि वर्तमान सरकार मुख्यधारा या सीमांत ज्ञान परंपराओं को कैसे देखती है। इसके अतिरिक्त, कक्षा 6-8 में भाषा शिक्षा में एनईपी2020 “अधिकांश प्रमुख भारतीय भाषाओं... की उल्लेखनीय एकता..., [और] उनकी सामान्य उत्पत्ति...संस्कृत से...” पर ज़ोर देकर "एक राष्ट्र, एक भाषा" के विचार को आगे बढ़ाती है। यह स्वतंत्र प्राचीन, ऐतिहासिक और अब भी इस्तेमाल होने वाली द्रविड़ और विभिन्न आदिवासी व उत्तर-पूर्व के अन्य भाषा समूहों को दरकिनार करती है। एनईपी 2020 एक तीन भाषाई सूत्र का प्रस्ताव पेश करती है, जहाँ मातृभाषा या स्थानीय भाषा के अलावा संस्कृत को एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को तमिलनाडु से विरोध का सामना करना पड़ा है, जो राज्य सरकारों के साथ परामर्श की कमी को उजागर करता है।

व्यावसायीकरण :

एनईपी 2020 शानदार और आलंकारिक भाषा से भरपूर है और छात्रों की आकांक्षापूर्ण भावनाओं को आकर्षित करती है। लेकिन इसके ठोस प्रस्ताव वास्तव में ऊपर उल्लिखित मूलभूत समस्याओं के लिए सामाजिक रूप से वांछनीय और व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य समाधान प्रदान नहीं करते हैं। कुछ पूरी तरह से अव्यावहारिक हैं और इनके असफल होने की पूरी संभावना है। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो निजीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ाएंगे, लागत बढ़ाएंगे और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की पहुँच कम करेंगे, साथ ही साथ गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, सिवाय संभवतः उन चुनिंदा विशिष्ट और महंगे संस्थान के जो अधिकांश छात्रों की पहुंच से बाहर होंगे। एनईपी 2020 शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर नुकसान पहुँचाएगी , शिक्षा पर खर्च को बढ़ाएगी , और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों की शिक्षा तक पहुँच को तेज़ी से कम करेगी, जबकि सरकार का यह कानूनी दायित्व है कि वह छात्रों और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके अधिकार के रूप में सुनिश्चित करे। एनईपी2020 शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के बारे में सांकेतिक बयान देते हुए कॉर्पोरेट और निजी हितों के लिए प्री-स्कूल, स्कूल और कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर एक खुला मैदान प्रदान करती है। एनईपी2020 शिक्षा में सरकारी निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यह प्रस्ताव कोठारी आयोग की रिपोर्ट में 1966 में ही रख दिया गया था, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है।

स्कूली शिक्षा पर

एनईपी 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को खत्म करने का प्रयास करती है, जिसे समाज के ग़रीब और सालों से हाशिए पर रहने वाले वर्गों ने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया है। यह 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए न्यायोचित शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम को खत्म करने के लिए आधार तैयार करती है। हालाँकि एनईपी 2020 3-16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए "सार्वभौमिक पहुँच " के बारे में लंबे-चौड़े दावे करती है, यह जताते हुए कि जैसे ये आरटीई अधिनियम से एक क़दम आगे हो। वास्तव में केवल पहुँच की ही बात करना, आरटीई और एनसीएफ 2005 में निहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी से एक कदम पीछे ले जाता है। यह ग़ैर -न्यायोचित भी होगा, क्योंकि एनईपी 2020 किसी भी कानून के तहत नहीं है। एनईपी2020 में "योग्यता" और "क्षमता" के आधार पर कई स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव के चलते, शिक्षा तक पहुँच सीमित हो जाएगी, ख़ासकर ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज़ के क्षेत्रों के छात्रों के लिए। एनईपी 2020 में एक बुनियादी और मूलभूत दोष ये है कि यह आरटीई अधिनियम और एनसीएफ 2005 के तहत अच्छी गुणवत्तापूर्ण परिणामों के साथ शिक्षा के अधिकार को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच से बदलने का प्रयास करती है। इस तरह यह नीति भारतीय स्कूली शिक्षा को 50 साल पीछे ले जाएगी। "योग्यता", "क्षमता" और संसाधन अनुकूलन के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल, विशेष रूप से छोटे या पृथक समुदायों में, बंद किए जाने हैं। हालाँकि ऐसी प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, एनईपी 2020 ने इस प्रक्रिया को क़ानूनी दर्जा दे दिया है। पिछले शिक्षा आयोगों और शिक्षा नीतियों ने पड़ोस के स्कूलों (neighbourhood schools) पर आधारित एक मज़बूत सार्वजनिक वित्त पोषित कॉमन स्कूल प्रणाली का आह्वान किया था, हालाँकि इसका कार्यान्वयन कभी नहीं हुआ। एनईपी 2020 ने इस बुनियादी और महत्वपूर्ण विचार को पूरी तरह से त्याग कर असमानता को मज़बूत करने का काम किया है जो कि पहले से ही भारत में व्याप्त है। एनईपी 2020 ग्रेड 10 और 12 की मौजूदा परीक्षाओं के अलावा, ग्रेड 3, 5 और 8 में भी सार्वजनिक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की शुरुआत करता है। यह "परीक्षा राज" सभी वैश्विक रुझानों के विपरीत है, और न केवल बच्चों पर बोझ और दबाव बढ़ाता है, बल्कि परीक्षा को सीखने के प्रतिफल के एक मानक के तौर पर स्थापित करता है।

शिक्षकों के संदर्भ में

स्कूल स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण को कमज़ोर करने, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में परिवीक्षा अवधि बढ़ाने, और सेवा के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तों को स्वायत्त और अनियमित एचईआई प्रबंधन द्वारा व्यक्तिपरक मूल्यांकन से जोड़ने के एनईपी2020 प्रस्तावों से शिक्षक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की सर्वविदित कमी, विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में और उसके भीतर, आदिवासी और दूरदराज़ के क्षेत्रों में, एनईपी 2020 में स्वीकार की गई है लेकिन अपर्याप्त रूप से संबोधित की गई है। एनईपी 2020 योजना स्नातकों के लिए 2-वर्षीय बीएड और स्नातकोत्तरों के लिए 1-वर्षीय बीएड की भी शुरुआत करती है, जो फिर से शिक्षक बनने के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण को कम करके आँकती है, और इसके बजाय मानती है कि शिक्षण पर संक्षिप्त प्रशिक्षण के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पर्याप्त होगी। एनईपी 2020 पर्याप्त योग्यता वाले या उसके बिना किसी भी व्यक्ति के लिए दो सप्ताह से तीन महीने के अल्पकालिक पाठ्यक्रम की भी शुरुआत करता है। ये प्रावधान अल्प-योग्य शिक्षक पैदा करेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शिक्षक प्रशिक्षण के व्यावसायीकरण के द्वार खुलेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में

भारत में व्यावसायिक शिक्षा (VocEd) को ऐतिहासिक रूप से ख़राब तरीक़े से प्रबंधित किया गया है और ग़लत समझा गया है। भारत के जाति- और वर्ग-ग्रस्त समाज में, जो कि हज़ारों साल से चला आ रहा है, , मध्यम वर्ग/उच्च जातियों को शिक्षा प्राप्त होती थी, जबकि निम्न वर्गों/जातियों को पिछली पीढ़ियों से चला आ रहा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होता था। यह जातिवादी ढाँचा आज भी क़ायम है, जहाँ शिक्षा प्रणाली और कौशल प्रणाली के बीच एक आभासी 'फ़ायरवॉल' बनी हुई है, जो आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अनुपयुक्त है, क्यूंकि यहां मज़दूर वर्ग को न केवल उन्नत कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तर के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। एनईपी 2020 में कहा गया है कि VocEd को पूरी तरह से "चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक पेशकशों के साथ एकीकृत किया जाएगा " और इसके अलावा, इस दिशा में, "माध्यमिक विद्यालय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ सहयोग करेंगे (एनईपी 2020 पैरा 16.5)।" माध्यमिक विद्यालयों में VocEd को रखने का एनईपी 2020 का प्रस्ताव अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों , पर्याप्त कौशल, अनुभव और योग्यता वाले नए शिक्षकों की आवश्यकता और सबसे बढ़कर, विभिन्न व्यवसायों के लिए उपकरण/मशीनरी में महंगे बुनियादी ढाँचे के साथ पहले से ही तनावग्रस्त स्कूल प्रणाली पर बोझ डालता है। जहाँ स्कूल विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी सबसे बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ यह उम्मीद करना कि वे विभिन्न व्यवसायों में कौशल-प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होंगे, एक सपना ही है। VocEd पर एनईपी 2020 के प्रस्ताव एक शून्यक में रखे गए हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन से पृथक हैं, जो कि पूरी तरह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है और जिसका शैक्षिक प्रणाली से बहुत कम या कोई संबंध नहीं है। इसलिए, एनईपी 2020 और सरकारी नीति ढाँचा जिसके भीतर यह स्थित है, भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल है, और भविष्य के ज्ञान और कौशल-गहन अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करेगा।

उच्च शिक्षा पर

एनईपी2020 एक अत्यंत विघटनकारी प्रस्ताव रखती है जिसमे संबद्ध कॉलेजों को पूरी तरह से खत्म करने और बड़े बहु-विषयक परिसर-आधारित विश्वविद्यालयों या एचईआई की ओर बढ़ने की बात कही गई है। यह संस्थान सभी विषयों और श्रेणियों में पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे जिनमें से कुछ चयनित कॉलेज स्वायत्त कॉलेज बनेंगें जो डिग्री प्रदान कर सकेंगे। एनईपी 2020 के तहत बड़े पैमाने पर संबद्ध कॉलेज बंद हो जाएंगे जिससे ग्रामीण, अनुसूचित जाति-जनजाति और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की उच्च शिक्षा तक पहुँच गंभीर रूप से प्रभावित होगी। एनईपी 2020 जो सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को बहु-विषयक परिसरों में बदलने के लिए मजबूर करती है या तो अपने स्वयं के विरोधाभासों के तहत ढह जाएगी या आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, सिवाय उन मामलों में जहाँ बड़े कॉर्पोरेट मुनाफ़ाख़ोरी के हित हैं। एनईपी 2020 के तहत 4-वर्षीय पूर्वस्नातक डिग्री का प्रस्ताव, जिसमे प्रत्येक वर्ष के बाद अलग-अलग प्रमाणपत्र/डिप्लोमा योग्यता के साथ प्रवेश और निकास संभव है, उच्च शिक्षा के विस्तार के लक्ष्य को विफल करता है। प्रस्ताव में एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदुओं का प्रावधान है। ऐसी स्कीम शिक्षार्थियों के लिए अपेक्षित उन्नत योग्यता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी और दूसरी ओर 4-वर्षीय स्नातक डिग्री की समग्रता को भी नष्ट कर देगी। एनईपी 2020 की शिक्षा के व्यावसायीकरण की मंशा, उसमें सुझाई गई कॉर्पोरेट संरचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। हर उच्च शैक्षिक संस्थान (एच ई आई) को स्वतंत्र रूप से अपना स्वयं का गवर्नर मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) बनाना होगा जिसका संस्थान के सभी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। एनईपी 2020 के कॉर्पोरेट-शैली शासन के प्रमुख शिकार शिक्षक होंगे, क्योंकि शिक्षकों का वेतन, रोज़गार का प्रकार और कार्यकाल, पदोन्नति आदि सभी आंतरिक रूप से गवर्नर मंडल द्वारा तय किए जाएंगे जिसमें समान मानक या सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड की कोई जगह नहीं होगी। एनईपी 2020 के प्रस्तावों में केंद्र सरकार का भारी हस्तक्षेप साफ़ दिखाई देता हैं जिसमें एकाधिक केन्द्रीय संस्थान बनाने के प्रस्ताव हैं जैसे शीर्ष पर उच्च शिक्षा परिषद , विनियमन के लिएNHERC, मान्यता के लिए NAC, अनुदान के लिए HEGC और परिणाम मानक तैयार करने के लिए GEC शामिल हैं। मानक परिणामों का मूल्यांकन भी केंद्रीय रूप से किया जाएगा जो रेटिंग मान्यता और अनुदान को निर्धारित कर सकते हैं । एनईपी 2020 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की एक उपभोक्ता के रूप के अलावा कोई भूमिका नहीं है। निजीकरण और निगमित एचईआई के इस नव-उदारवादी परिदृश्य में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। अपरोक्ष रूप से यह विदेशी संस्थान भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए एक मानक स्थापित करेंगे या रोल मॉडल के रूप में कार्य करेंगे जिसमें शासन की कॉर्पोरेट शैली, बाज़ार -उन्मुख पाठ्यक्रम संरचनाएँ , शिक्षकों के अनौपचारिक या संविदात्मक रोज़गार और उच्च शुल्क शामिल हैं। अनुसंधान निधि प्रदान करने वाली कई एजेंसियों के अलावा एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय अनुसंधान कोष (एनआरएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव है। केवल एनआरएफ ही सार्वजनिक और निजी दोनों विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए सरकारी अनुदान प्रदान करेगा। प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा भी एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी भले ही इस परीक्षा का औचित्य प्रश्नों के घेरे में है क्योंकि एनईपी 2020 के अनुसार एनटीए मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए इसे व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर छोड़ दिया जाना है (एनईपी 2020 – क्रम संख्या 4.42)। इसलिए केंद्रीय और राज्य बोर्ड और उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में

प्रौढ़ शिक्षा की पूरी संकल्पना उसके उद्देश्य और वितरण दोनों परिप्रेक्ष्य में कमज़ोर है। सबसे पहले, बुनियादी साक्षरता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और जीवनपर्यंत शिक्षा को बहुत ही अनौपचारिक तौर पर लिया जाता है। दूसरे, एक बार फिर से डिजिटल प्राइमरों और पूरक पुस्तकों के माध्यम से ऑनलाइन लेन-देन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एआईपीएसएन/बीजीवीएस द्वारा शुरू किये गए जन अभियान के तरीक़े को दरकिनार किया जा रहा है जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ लाया गया था। यह स्वीकार करने के बावजूद कि जन अभियान के तरीक़ों से खासा फ़ायेदा हुआ था, एनईपी2020 1980 के दशक की पुरानी अवधारणाओं पर वापस चली जाती है, जिसमें "प्रत्येक, पढ़ाए एक" जैसे स्कूल-आधारित तरीक़े या बुनियादी साक्षरता के लिए छात्र स्वयंसेवकों को शामिल करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के लिए अन्य कार्यक्रमों से जुड़ाव पर निर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा विभाग (डीएई) और राज्य शिक्षा संसाधन केंद्र (एसईआरसी) जैसे चार दशक पुराने शैक्षणिक और पेशेवर संस्थानों को भी व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है। इस वजह से संस्थागत-स्मृति और वैकल्पिक दृष्टिकोण का दशकों पुराना सिद्ध अनुभव खो रहा है।

एनईपी 2020 में आरक्षण का उल्लेख तक नहीं है, जबकि यह संविधान में निहित है। हर जगह सभी स्तरों पर प्रवेश के आधार के रूप में केवल योग्यता का उल्लेख किया गया है, जबकि यह सर्वविदित है कि तथाकथित योग्यता केवल विशेषाधिकार और उच्च आय और सामाजिक स्थिति से प्राप्त होने वाले लाभों का प्रतिबिंब है। इसमें एक प्रस्ताव यह भी है कि 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह' (जिसमें विकलांग बच्चे शामिल हैं) को बजाय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के भीतर आरक्षण और वंचितों के लिए विशेष व्यवस्था करने के, मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों के ओपन स्कूल/मुक्त शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। इसमें 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह' जैसा एक नया पारिभाषिक शब्द भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो ख़ासतौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के ख़िलाफ़ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को ख़ारिज कर उन्हें सभी वंचित समूह की श्रेणी में ले आता है। इस प्रस्ताव से इन बच्चों में शिक्षा का अभाव बढ़ेगा और समाज में तकनीकी और डिजिटल ज्ञान की खाई भी गहरी होगी।

नागालैंड और मणिपुर

11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर, मणिपुर और नागालैंड में एनईपी2020 के बारे में जागरूकता और शिक्षा पर इसके असर को लेकर अभियान कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की माँग रखी गई। जागरूकता अभियान के दौरान यह सवाल उठाया गया कि एनईपी2020 बाल श्रम, बाल विवाह लिंग और जाति भेदभाव, ग़रीबी और अन्य कारकों से क्यों नहीं निपटती जो बच्चे की शिक्षा में बाधा डालते हैं और उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करते हैं।

इन राज्यों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए बने सरकारी स्कूलों को पहले ही ख़त्म किया जा चुका है और 80 फ़ीसद से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में जाना पड़ रहा है। अधिकांश सरकारी स्कूल या तो निष्क्रिय हैं या बंद हो गये हैं। शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण और सरकारी स्कूलों का ख़राब प्रदर्शन चिंता का विषय है। एनईपी2020 में जिस प्रश्न का विश्लेषण नहीं किया गया है वह यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसने शिक्षा को न्यायसंगत मौलिक अधिकार बनाया, के आने के 14 साल बाद भी, कई बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं और स्कूलों ने अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं किया है। इसलिए अभियान कार्यक्रमों का ज़ोर शिक्षा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की माँग पर था।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर एनईपी 2020 के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16 मार्च से 10 अप्रैल तक ज़िला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

एनईपी 2020 के नतीजों पर मणिपुर में 15 अप्रैल और नागालैंड में 20 अप्रैल को राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित किया गया। इन बैठकों में स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गयी। एनईपी 2020 पर प्रचार करते हुए इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया।

असम

एआईपीएसएन समन्वय समिति (असम) की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा पहले से अपनाई गई नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के शिक्षा विरोधी और जन विरोधी प्रावधानों का विरोध करने के लिए 31.10.2023 को समान विचारधारा वाले संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।.

सम्मेलन का आयोजन चंद्र प्रवाह सैकियानी भवन, गुवाहाटी में किया गया, जिसमें जन विज्ञान आंदोलन से जुड़े कई संगठनों के अलावा कई छात्र, युवा, शिक्षक संगठनों और कुछ अन्य ग़ैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनईपी 2020 के हानिकारक प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन में चार संयोजकों के साथ व्यापक-आधारित मंच की एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मंच का नाम "फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, असम" रखा गया जिसके संयोजक हैं डॉ. के.पी.सरमा, डॉ. इंद्राणी दत्ता, नजीबुद्दीन अहमद और प्रो.तपन सरमा।

फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, असम के गठन के बाद, हमने 11/11/2023 को 'राष्ट्र शिक्षा दिवस' मनाया। गुवाहाटी प्रेस क्लब हॉल में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई जिसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर डॉ. अखिल रंजन दत्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित किया। साथ ही असम के मोरीगाँव , नलबाड़ी, नौगाँव , गोलपारा जिले में सभाएँ और पदयात्राएँ आयोजित की गई।

फ़ोरम फ़ॉर राइट टू एजुकेशन, असम की पहल के तहत एनईपी के शिक्षा विरोधी और हानिकारक प्रावधानों पर असमिया में एक पुस्तिका तैयार हुई और प्रकाशित की गई। इस पुस्तिका के ज़रिए विभिन्न ज़िलों में ज्ञान विज्ञान समिति (असम), सीआरयू (एनई), एलोरा विज्ञान मंच जैसे घटक संगठनों की मदद से कई समूह बैठकें/इंटरैक्टिव बैठकें आदि आयोजित की गई। इन संवाद बैठकों में पीएसएम संगठनों के सदस्यों, छात्रों, युवाओं, छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया।

फ़ोरम फ़ॉर राइट टू एजुकेशन, असम के संयोजकों ने विभिन्न शिक्षक संगठनों के नेताओं से भी संपर्क किया और राज्य में एनईपी के कार्यान्वयन के हानिकारक प्रभाव के बारे में चर्चा की। फ़ोरम संयोजक लगातार प्राथमिक, एमईएमवी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षक संघों के पदाधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं।

दिनांक 29/03/23 को गुवाहाटी स्थित राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मेलन हॉल में एक दिवसीय बातचीत सत्र का आयोजन किया गया। दिनभर चले इस सत्र में कई राज्य स्तरीय शिक्षक संघों के नेताओं ने भाग लिया। इन शिक्षक संघों ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के ख़िलाफ़ 'फ़ोरम फ़ॉर राइट टू एजुकेशन असम' की आयोजन समिति के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है।

यह व्यापक फ़ोरम ऐसे क्षेत्रों में कुछ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है जहां सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं या जहाँ इनका अन्य स्कूलों में विलय हो गया है। । फ़ोरम जमीनी स्तर पर एनईपी के ख़िलाफ़ अभियान को तेज करने के लिए फ़ोरम स्थानीय भाषाओं में विभिन्न अभियान सामग्री तैयार करने का प्रयास कर रही है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है क्योंकि एनईपी2020 के साथ उसकी सहमति नहीं है। इस समिति में डॉ. रामानुजम, प्रोफ़ेसर एस मदासामी, डॉ. अरुणा जैसे नेता शामिल हैं जो तमिलनाडु शिक्षा नीति की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।

इस बीच, इस मसौदे पर जनता से राय माँगने की घोषणा के बाद, तमिलनाडु विज्ञान फ़ोरम (TNSF) ने चार क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कीं, जहाँ लगभग सभी ज़िलों से विशेषज्ञ एकत्र हुए और अपनी राय साँझा की। इस प्रक्रिया से मिले सुझावों और विचारों को एकत्रित किया गया और एड इंडिया, वूडर जैसे समान विचारधारा वाले संगठनों और शैक्षिक विशेषज्ञों के साथ फिर विचार विमर्श किया गया। इस मसौदे को मौजूदा समिति के कुछ सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से साँझा किया गया और अंत में, 80 पृष्ठ का एक दस्तावेज़ न्यायमूर्ति मुरुगेसन को प्रस्तुत किया गया जो समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।

इन प्रयासों के अलावा शिक्षा विभाग द्वारा हमारे संगठन के कई व्यक्तियों को विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्तर की चर्चा में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

हरियाणा

शिक्षा बचाओ-स्कूल बचाओ रैली

29 दिसंबर 2022 को जमूहरी अधिकार सभा और अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच की ओर से शिक्षा बचाओ आंदोलन ने जींद में 'शिक्षा बचाओ-स्कूल बचाओ' रैली का आयोजन किया। शहीद भगत सिंह के भतीजे प्रोफ़ेसर जगमोहन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के लिए मुफ़्त , वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभियान एक ऐसे आज़ादी के आंदोलन की तरह है जो आज़ादी हमें आज़ाद होने के बाद भी मिली नहीं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में किसान आंदोलन के नाम पर देश के किसानों और मज़दूरों ने एक लड़ाई लड़ी, जो भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। यह लड़ाई जीत ली गई। उसी तरह शिक्षा के लिए लड़ाई भी भविष्य को बचाने की एक लड़ाई है क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जायेगा। 1857 के गदर का अहम सवाल यह था कि क्या भारत के लोगों को जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं! लेकिन हमारे संघर्ष से हमें जीने का अधिकार मिला। उसी चेतना ने हमें जनता की समस्याओं के वास्तविक कारणों को समझने में मदद की।

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच की ओर से प्रोफ़ेसर जगमोहन सिंह ने संदेश पढ़ा, जिसमें एनईपी 2020 का विरोध करते हुए कहा गया कि वर्तमान केंद्र सरकार तथाकथित एनईपी के माध्यम से लोकतंत्र, संविधान और लोगों के शिक्षा के अधिकार को नष्ट करने पर आमादा है। संदेश में कहा गया कि हम इस पहल का समर्थन करते हैं और तमिलनाडु से कश्मीर तक जागरूक वर्ग की ओर से इसके साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस दौर को समझें और जनता को समझाएँ कि जहाँ एक ओर सरकारें पूँजीपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज़ माफ कर रही हैं, वहीं शिक्षा नीति के ज़रिए छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। इसका संज्ञान लिया गया कि हरियाणा में हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों से फ़ीस वसूली जा रही है। अगर गाँव के स्कूल नहीं बचेंगे तो हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाएँगीं। एनईपी 2020 ने यह साबित कर दिया है कि सरकारें जनता के लिए काम करने के नाम पर सत्ता में आती हैं और कॉरपोरेट का ख़ज़ाना भरती हैं। ग़ौरतलब है कि शिक्षा नीति के प्रावधानों में स्कूल जाने की उम्र 8 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दी गई है तथा घर से स्कूल जाने का अंतर अब दो वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यह सब बदलाव विश्व बैंक के एक दस्तावेज़ के मुताबिक़ किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाना ही होगा, चाहे वे स्कूल के अंदर हों या बाहर। दरअसल, उन्हें स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है और वहाँ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि वे स्कूलों में न पढ़ें क्योंकि शिक्षा लोगों को सशक्त बनाती है और सरकारें ऐसा नहीं चाहतीं। सरकारें आज भी धर्म, जाति और भाषा के नाम पर विभाजन पैदा कर रही हैं। गुरुओं ने भी कहा है कि ज्ञान वह है जो हमें सोचने में सक्षम बनाता है। और हमारा आंदोलन जनता के बीच व्यापक एकता बनाकर इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्कूलों को मर्ज किए जाने के विरोध में

अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे शिक्षक

रोजाना हड़ताल पर बैठेंगे 5अध्यापक, शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया

उत्तराखंड

वैज्ञानिक नजरिया हो शिक्षा का आधार

- वक्ता बोले, नई नीति में मिथक आधारित विषयों की ओर बढ़ रहे हैं हम
- देहरादून में भारत ज्ञान विज्ञान समिति की दो दिनी कार्यशाला में हुआ मंथन

देहरादून, मुख्य संवाददाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आयोजित शिक्षा संवाद में वैज्ञानिक नजरिये पर जोर दिया गया। शिक्षा के निजीकरण को लेकर चिंता जताई गई।

भारत ज्ञान-विज्ञान समिति की ओर से रेसकोर्स स्थित राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में दो दिनी कार्यशाला हुई। पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव एवं शिक्षाविद् प्रो. प्रमोद गौरी ने कहा कि सरकारों ने शिक्षा नीति को गंभीरता से नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो आज भारत उन्नत देश में शुमार होता। मुख्य वक्ता प्रो. गौरी ने कहा कि यह विडंबना है कि जहां दुनिया वैज्ञानिक नजरिए को बढ़ावा दे रही है, वहीं हम कर्मकांड और मिथक आधारित विषयों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक भागीदारी को निम्न करने की सोच पर चिंता जाहिर की। राज्य अध्यक्ष विजय भट्ट ने कहा कि यदि आम जनता शिक्षा नीति की खामियों पर विचार नहीं करेगी तो आने वाले समय में आमजन उच्च शिक्षा से भी वंचित हो जाएगा। राज्य सचिव एसएस रावत ने कहा कि इस नीति में लुभावने शब्द और सोच अंकित करके ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। समता मंच की समन्वयक डॉ. उमा भट्ट ने कहा कि यह नीति कहीं भी यह स्पष्ट नहीं करती कि नियमित शिक्षक भर्ती होंगे। नीति निजी शिक्षा को बढ़ावा देने और कॉरपोरेट को शिक्षा क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। इस दौरान दिनेश धीमान, मनोहर चमोली, मोहन चौहान, सतीश जोशी, कमलेश खंतवाल, मुकेश बहुगुणा, धर्मेंद्र सिंह रावत, धर्म चौहान, इंद्रेश नौटियाल, सतीश धौलाखंडी, मीना, मोनिका मौजद रहे।

युवा कार्यक्रम

यूथ डेस्क ने 13, 25 जनवरी और 8 फ़रवरी को युवाओं पर एनईपी 2020 के प्रभाव पर तीन वेबिनार आयोजित किए। इसमें देशभर की युवा आवाज़ों ने हिस्सा लिया। 3 पैनल चर्चाओं में युवाओं पर एनईपी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें देश भर से आये युवा वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सभी वक्ताओं ने एक सुर में अंडरग्रेजुएट कोर्स की अवधि चार साल किये जाने पर चिंता जताई, क्योंकि इससे खर्च बढ़ गया है. इसके अलावा मुख्य पाठ्यक्रम पर ध्यान कम करने पर और फिट इंडिया, आयुर्वेद, संस्कृत जैसे अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की निरर्थकता पर चिंता व्यक्त की गई। एक और अजीब स्थिति पर बात की गई कि व्यावसायिक कौशल के पाठ्यक्रम को शुद्ध विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में प्रशिक्षित लोगों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। साथ ही शिक्षा के भगवाकरण की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से सामने आ रही है जिसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में बदलाव लाए जा रहे हैं।

एक अन्य चिंता प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स की सार्थकता और रोज़गार के अवसरों के साथ इनकी प्रासंगिकता को लेकर उठी। एक अन्य मुद्दा महिलाओं, विशेष ज़रूरतों वाले लोगों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों वाले समुदायों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता पर दृष्टिकोण की कमी होना था। एक अन्य मुद्दा जो सामने आया, वो था युक्तिकरण की प्रक्रिया में कॉलेजों का बंद होना।

शोध के मुद्दे पर यह नोट किया गया कि एम.फ़िल कार्यक्रम को हटाने से शोधकर्ता मज़बूत नहीं हुए, और अब अपर्याप्त अनुदान और मदद की वजह से और सरकारी अनुदान पर संस्थानों की निर्भरता के कारण शोध का रुख अवैज्ञानिक और तर्कहीन मुद्दों के प्रति हो रहा है।

सभी अभिभावकों को स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर एनईपी2020 के प्रभाव के बारे में जागरूक होना चाहिए और शैक्षिक सुधार के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण बनाने और इसके कार्यान्वयन की माँग करनी चाहिए। किसानों, औद्योगिक श्रमिकों और पूरे छात्र समुदाय को इस नए दृष्टिकोण को प्रेरित करने, समझने और बनाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर होने और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए हमारे विकास के इस मोड़ पर सभी के लिए राज्य समर्थित शिक्षा की माँग सबसे महत्वपूर्ण है। यह ज़रूरी है कि चयन परीक्षा के न्यूनतम तनाव के साथ और निजी शिक्षा और ट्यूशन की उच्च लागत के बिना सभी की शिक्षा तक पहुँच हो, । स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शासन निकायों में छात्रों की राय और निर्वाचित प्रतिनिधित्व को शामिल करना चाहिए ताकि एक प्रासंगिक शिक्षा कार्यक्रम बनाने में सक्षम हो सकें।

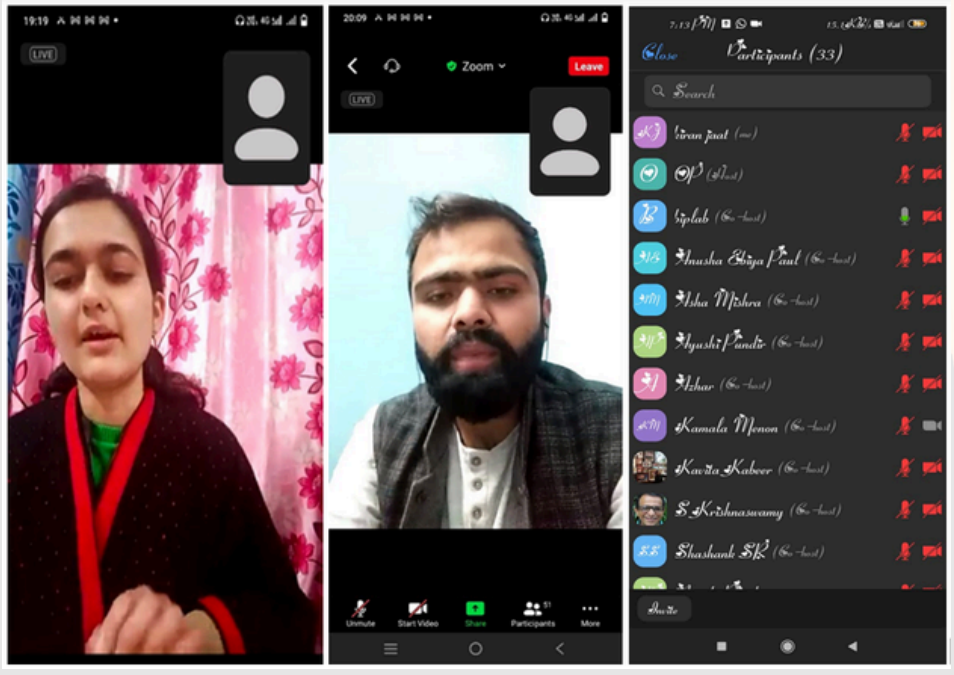

जयपुर में एनईपी 2020 पर उत्तरी क्षेत्र कथानक लेखन कार्यशाला

31 जनवरी-3 फरवरी

झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में कला जत्था: एक रिपोर्ट

कला जत्थों के माध्यम से, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा और ओडिशा के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने एक महीने से अधिक की अवधि में देश भर में विभिन्न कस्बों और गाँवों में 500 से अधिक प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित किए और दिल्ली पहुँच कर मुहिम के इस चरण का समापन किया। यह भी फ़ैसला लिया गया कि एनईपी2020 के अस्वीकार होने तक जत्थों को जारी रखा जाएगा।

झारखंड:

भारत ज्ञान विज्ञान समिति, झारखंड "शिक्षा बचाओ, देश बचाओ" अभियान के तहत कई पहल कर रही है। अभियान में की गई पहली पहल कला जत्था टीमों द्वारा राज्य का दौरा था। कला जत्था ऐसे कला समूह हैं जो अपने प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच सामाजिक संदेश फैलाते हैं। कला जत्था की तैयारी के लिए ज्ञान विज्ञान समिति, झारखंड की ज़िला समिति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी। ज्ञान विज्ञान समिति, गिरिडीह की ज़िला इकाई द्वारा जागो फ़ाउंडेशन में कला जत्था के लिए 25 प्रतिभागियों का आवासीय प्रशिक्षण 26 मार्च से 31 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। प्रतिभागी गिरिडीह, लातेहार, देवघर और बोकारो से थे। प्रशिक्षक के रूप में डीएम अल गोदिया (गिरिडीह), मंटू तुरी (कोडरमा), सुभद्रा (बोकारो) और मुरलीधर (बिहार) शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान भोलानाथ राम ने व्यवस्थापक के रूप में कार्य किया। प्रशिक्षण के बाद दो कला जत्थों का गठन किया गया: सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा।

1 अप्रैल, 2023 को बीजीवीएस के महासचिव डॉ. काशीनाथ चटर्जी ने दोनों जत्थों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिद्धु कानू जत्था ने गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो ज़िलों के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए गीत और नाटक के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 की ख़ामियों पर लोगों से बातचीत की।

जत्था का समापन 10 अप्रैल को बोकारो के पेटरवार में हुआ। इस जत्थे के कार्यक्रमों में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। इस जत्थे ने सिद्धु कानू की समाधि स्थल भोगनाडीह और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि करमाटांड़ में कार्यक्रम किये।

बिरसा मुंडा जत्था ने गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, राँची और खूँटी ज़िलों में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस जत्थे का समापन 09 अप्रैल को बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूँटी के उलिहातु में हुआ। इस जत्थे के कार्यक्रमों में लगभग 100,000 लोगों ने भाग लिया और लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। कार्यक्रमों के दौरान लोगों को नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित पर्चे भी दिए गए। सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा जत्था के प्रबंधक क्रमश: विकास कुमार ठाकुर और रवि सिंह थे।

जिन ज़िलों में जत्थे यात्रा कर रहे थे , वहाँ के लोगों ने जत्थों के लिए भोजन की व्यवस्था की। जगह-जगह लोगों ने समूह को गमछा, कलम और किताबें देकर उत्साहवर्धन किया। गांव के शोषित, वंचित वर्ग के लोग और महिलाएँ भी आकर मदद कर रही थीं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था और इससे साबित होता है कि अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो लोग सहयोग के लिए खुद आगे आते हैं' कला जत्था के स्वागत में कई युवा, बुजुर्ग, पंचायत सदस्य, और शिक्षक शामिल हुए।

मध्य प्रदेश में कला जत्था:

एनईपी 2020 और शिक्षा का अधिकार (2009) अधिनियम के कार्यान्वयन पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश के 28 ज़िलों में 29 मार्च - 30 अप्रैल, 2023 तक नुक्कड़ नाटकों, अभियान गीतों और घर-घर संवाद से युक्त एक महीने के कला जत्था का आयोजन किया गया। कला जत्था सफलतापूर्वक लगभग 2,00,000 लोगों तक पहुंचा, और टीमों ने दूरदराज़ के इलाकों में 112 कार्यक्रम किए। यात्रा आंदोलन से पहले इसकी तैयारी के तहत भोपाल में 10 दिन की आवासीय कला जत्था कार्यशाला आयोजित की गई।

स्क्रिप्ट/कथानक कार्यशाला (मार्च 2023):

कला जत्था तैयार करने के लिए 2 नाटक, 11 जागरूकता गीत, 2 पोस्टर, पर्चे और एनईपी 2020 पर अभियान नारे विकसित किए गए।

कलाकार प्रशिक्षण कार्यशाला (29 मार्च - 09 अप्रैल 2023):

17-35 आयु वर्ग के 12 युवा कलाकारों को (जिनमें से तीन महिलाएँ थीं) श्री हलीम, बीजीवीएस कार्यकर्ता और थिएटर कलाकार, के निर्देशन में प्रशिक्षित किया गया।

कला जत्था आंदोलन (10 -30 अप्रैल 2023):

प्रत्येक ज़िले में दो नाटक ("शिक्षा की मशीन", " बच्चे कहाँ हैं ?") और 11 जागरूकता गीत प्रस्तुत किए गए। प्रत्येक जिले में अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 5-7 शो किए गए।

प्रत्येक शो में नाटक और कई जागरूकता गीत प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद बच्चों के शिक्षा के अधिकार और राज्य में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के प्रभाव पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक खुली चर्चा हुई। स्कूलों को बंद करना और उनका विलय करना, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूल छोड़ने वाले या स्कूल से बाहर वाले बच्चों की बढ़ती संख्या, ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षकों की कमी आदि प्रमुख मुद्दे थे, जिन पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई। शो के बाद लोगों को पर्चे और स्टिकर वितरित किए गए, जबकि स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए ग्रामीणों के साथ छोटे समूहों में चर्चा की गई। अभियान में शामिल होने और उसका समर्थन करने के लिए प्रत्येक ज़िले में जत्था प्रदर्शन से पहले और बाद में समान विचारधारा वाले शिक्षाविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकें भी आयोजित की गई।

कला जत्था ने मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य भागों के 17 ज़िलों की यात्रा की और 19 अप्रैल 2023 को भोपाल पहुँचा , जहाँ गांधी भवन में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन व समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन समिति, मध्य प्रदेश द्वारा जत्था कलाकारों का स्वागत किया गया और वहीं उन्होंने अपने अनुभवों को प्रतिभागियों के साथ साँझा किया। कार्यक्रम को आशा मिश्रा (सचिव, एआईपीएसएन), एसआर आज़ाद (कोषाध्यक्ष, एआईपीएसएन), मनोज निगम (एकलव्य), अजय तिवारी (प्रदेश अध्यक्ष, एसएफआई) और सुश्री अरुणा जी, शिक्षाविद् ने संबोधित किया। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, एआईडीडब्ल्यूए, एसएफआई, डीवाईएफआई, एमपीवीएस, एमपीबीजीवीएस, आईपीटीए, लोकजतन, सीटू आदि के प्रतिनिधियों ने स्वागत भाषण दिया और कला जत्था को अपने प्रयास के लिए शुभकामनाएँ दीं। मध्य प्रदेश बीजीवीएस के सचिव पवन पवार ने सत्र का संचालन किया जबकि एमपीवीडी के सुभाष शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इसके बाद कला जत्था 27 अप्रैल को दिल्ली पहुँचने के लिए राज्य के उत्तरी भाग की ओर आगे बढ़ा।

2 दैनिक विनय उजाला आशीष जायसवाल

शुक्रवार ● 14 अप्रैल 2023, इंदौर

संक्षिप्त समाचार

गीत और नाटकों के माध्यम से नई शिक्षा नीति में सुधार की मांग

खातेगांव निप्र। शिक्षा नीति से होने वाले नुकसान को लेकर अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के तत्वावधान में गुरुवार को कला जत्था जामनेर, जियागांव, गनोरा पहुंचा। यहां गीत और नाटकों के माध्यम से नई शिक्षा नीति में सुधार करने की बात की गई। संस्था के आशीष पारे ने बताया कि कोरोना के दौर में शालाबंदी सहित विभिन्न कारणों से शाला से बाहर बच्चों की शाला वापसी, क्लोजर/मर्जर जैसी नीतियों के नाम पर बच्चों की शिक्षा से जबरन बेदखली और नई शिक्षा नीति - 2020 के चलते शिक्षा का निजीकरण आदि मुद्दों पर जन जागरूकता के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। जिसमें गरीब-वंचितों के शोषण और कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए बनती एकतरफा नीतियों पर नाटक और गीत के माध्यम से आमजन से संवाद किया गया।10 अप्रैल को भोपाल से रवाना हुआ यह जत्था प्रदेश के 27 जिलों में जनसंवाद करते हुए 28 अप्रैल को दिल्ली पहुँचेगा । 28-29 को दिल्ली के जंतर मंतर सहित अनेक स्थानों पर प्रदर्शन के पश्चात 30 अप्रैल को सुरजीत भवन में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सभा में इसका समापन होगा। जहां देश भर से 800 से अधिक जमीनी कार्यकर्ता, शिक्षाविद, विभिन्न राज्यों के कलाजत्था आदि शामिल होंगे । देश की शिक्षा व्यवस्था में वैकल्पिक नीति क्या हो और वर्तमान सरकार के समक्ष जन विज्ञान आंदोलन की मांगें क्या हैं, इन बिंदुओं पर भी राष्ट्रीय असेंबली में चर्चा की जाएगी। असेंबली के बाद राज्यों में जन आंदोलन का अगला चरण शुरू किया जाएगा । स्थानीय सहयोग : मनीष गुर्जर (उपाध्यक्ष,जनपद पंचायत), नारायण पँवार, इंद्रपाल जाजडा, संदीप मायावर आदि।

शिक्षा बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत कला जत्थे का इन्दौर शहर में आयोजन

बिहार में कलाजत्था: कुछ तस्वीरें

राष्ट्रीय शिक्षा सभा

(राष्ट्रीय शिक्षा सभा पर अन्य भाषाओं में पढ़ने के लिए aipsn.net वेबसाइट भी देखें)

नई दिल्ली के एचकेएस भवन में संपन्न हुई राष्ट्रीय शिक्षा सभा में सरकार के सामने 31 प्रमुख माँगें रखी गई। अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आयोजित और 15 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा क्षेत्र के संगठनों द्वारा समर्थित सभा ने आह्वान किया कि मौजूदा सरकार सांप्रदायिक और व्यावसायीकरण एजेंडे को लागू करके देश में पहले से ही कमज़ोर शिक्षा प्रणाली को और कमज़ोर ना करे, जिससे भारत के संघीय और लोकतांत्रिक संवैधानिक सिद्धांतों का भी अनादर हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा सभा की 31 मांगों में देश में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, साक्षरता और सतत शिक्षा को मज़बूत करना और साथ ही साथ हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कई जन-विरोधी प्रावधानों को वापस लेना शामिल था। सभा ने सर्वसम्मति से एनईपी2020 को वापस लेने की माँग की, जिसने समाज में हाशिये पर रहने वाले कई वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर कर दिया है और समाज में असमानता की एक परत बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है जो अस्वीकार्य है।

सभा का उद्घाटन करते हुए, केरल सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. आर. बिंदू ने कहा कि एनईपी हमारे छात्रों को वैश्विक पूंजी के लिए चारे के रूप प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने कहा कि, एकाधिक निकास और प्रवेश की प्रणाली के साथ, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रों को सीमित/न्यूनतम कौशल मिले ताकि वे वैश्विक पूंजी के लिए सस्ते श्रम के रूप में काम कर सकें। केरल सरकार की जन-समर्थक शिक्षा पहलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहा है जो राज्य की ज़रूरतों को पूरा करती है, ख़ासकर हाशिए पर और उत्पीड़ित वर्गों को।

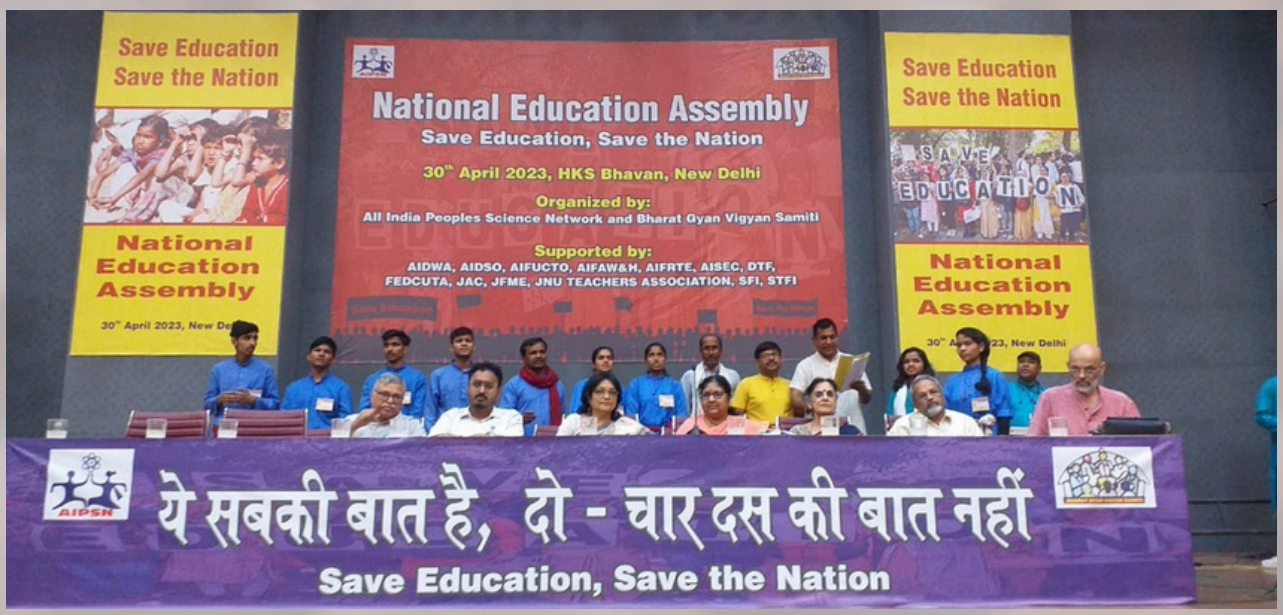

सभा के दौरान बोलते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने कहा कि एनईपी के बारे में हमें सबसे पहले यह याद रखने की ज़रूरत है कि, इससे पहले की शिक्षा नीतियों की तुलना में, इसने किसी भी व्यापक और अनुभवजन्य आधार पर अपनी सिफ़ारिशें नहीं की हैं। यह केवल अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की शिक्षा प्रणालियों की नकल मात्र है। उन्होंने कहा कि एनईपी के मूल्य एक विशेष धर्म से लिए गए हैं- जैसे कि डार्विन के सिद्धांत को गीता से बदलना। उनके अनुसार, यह स्पष्ट रूप से केंद्र द्वारा शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण है, जो शिक्षा के मूल्यों का और अधिक ब्राह्मणीकरण करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षा नीति को गुणवत्ता उन्मुख होना चाहिए और समाज के सभी कोनों तक समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन एनईपी में शिक्षा को जनता में बड़े पैमाने पर पहुँचाने पर रोक लगाने की पूरी क्षमता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व डीन अनीता रामपाल ने साँझा किया कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने स्कूल पाठ्यक्रम में सुधार के लिए बायजू जैसी कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ४वीं कक्षा के छात्रों के लिए टैबलेट खरीदने के लिए बड़ी धनराशि आवँटित की गई है। उनके अनुसार, ऐसे तरीक़ों से सार्वजनिक धन को "गैर-राज्य और व्यावसायिक " हाथों में दिया जा रहा है, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर शिक्षा का निजीकरण और मुनाफ़ाख़ोरी करना है।

डॉ एन वरगीस, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्थागत समेकन, चाहे स्कूल या उच्च शिक्षा स्तर पर हो, समावेशन के विचार के खिलाफ है जो हमारी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता और हमारे संविधान का सार रहा है।

डॉ एन वरगीस, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्थागत समेकन, चाहे स्कूल या उच्च शिक्षा स्तर पर हो, समावेशन के विचार के ख़िलाफ़ है जो हमारी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता और हमारे संविधान का सार रहा है।

सभा का अभिनंदन करते हुए कश्मीर घाटी के जन नेता मोहम्मद यूसुफ़ तारिगामी ने कहा कि देश अब तक के सबसे अंधकारमय समय से गुज़र रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिक्षा के लिए संघर्ष कश्मीर घाटी के लोगों को भी प्रेरित कर रहा है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। उनके अनुसार, रोज़गार को लक्ष्य के रूप में थोपने से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के मूल्यों से समझौता हो गया है। रोज़गार की ज़िम्मेदारी छात्रों पर डालने से यह और भी ख़राब हो गया है, जबकि यह राज्य और संस्थानों की ज़िम्मेदारी थी।

कई राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों और ज़मीनी स्तर के संगठनों से जुड़े लोगों ने एनईपी को लागू करने के अब तक के अनुभवों पर चर्चा की। विभिन्न समस्याग्रस्त कदमों के व्यक्तिगत अनुभवों ने विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताओं को रेखांकित किया। विभिन्न राज्यों से ऐसे महत्वपूर्ण अनुभव एकत्र करने के लिए सभा ने दो समानांतर सत्र आयोजित किए। एक सत्र में स्कूली शिक्षा और वयस्क शिक्षा पर चर्चा हुई, जबकि दूसरे सत्र में उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा हुई।

समापन के दौरान सभा का घोषणा पत्र और माँग पत्र प्रस्तुत किया गया और चर्चा की गई। ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन , ऑल इंडिया फ़ैडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनाइज़ेशन , ऑल इंडिया फ़ैडरेशन ऑफ़ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स जैसे सभी पंद्रह संगठनों के प्रतिनिधि, ऑल इंडिया फ़ोरम फ़ॉर राइट टू एजुकेशन, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी, दिल्ली टीचर्स फ्रंट, फ़ैडरेशन ऑफ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, ज्वाइंट एक्शन काउंसिल, ज्वाइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया और स्कूल टीचर्स फ़ैडरेशन ऑफ़ भारत ने सभा को संबोधित किया और घोषणा पत्र और माँग पत्र पर चर्चा की।

घोषणा पत्र में वर्तमान एनईपी में कई कमियों और इसे वापस लाने के महत्व और एक आधुनिक और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा की गई, जिसमें सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा और ज्ञान की ज़रूरतों के लिए उन्मुख उच्च शिक्षा को सक्षम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन हो। घोषणा पत्र में बताया गया कि एनईपी में कई प्रावधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जिसमें 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन दिया गया है। इसमें पाया गया कि एनईपी का कार्यान्वयन देश की शिक्षा प्रणाली को तेज़ी से प्रतिगामी दिशाओं में धकेल रहा है, जिसके न केवल शिक्षा के लिए, बल्कि समान विकास और प्रगति और भारत के बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए भी गंभीर परिणाम होंगे। इसमें बताया गया कि बुनियादी ढाँचे के युक्तिकरण के नाम पर पूरे देश में हज़ारों स्कूलों को बंद कर दिया गया है या विलय कर दिया गया है।

सार्वजनिक संस्थानों को तेज़ी से निजी हाथों में सौंपना एनईपी का एक और प्रमुख परिणाम है। एनईपी के तहत, विशेष रूप से स्कूल के वर्षों में, दूरस्थ, ऑनलाइन, अनौपचारिक, घरेलू और स्वयंसेवी-आधारित शिक्षा पर अत्यधिक और अनुचित ज़ोर को एक प्रमुख समस्या के रूप में अंकित किया गया, जिससे सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटने का मौक़ा मिल गया, विशेषकर लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा को लेकर। पाठ्यक्रम में जल्दबाज़ी में किए गए अतार्किक परिवर्तन एनईपी द्वारा उत्पन्न एक और ख़तरा है जो विज्ञान और समाज के बारे में छात्रों की समझ को सांप्रदायिक बना देता है।

एनईपी के तहत उच्च शिक्षा को और अधिक व्यावसायीकरण और निजीकरण के लिए खोला जाना एक अन्य प्रमुख चिंता के रूप में सामने आया। व्यावसायीकरण और सरकार द्वारा घटते आवंटन के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में निजी और लाभकारी क्षेत्र की अनुचित वृद्धि को एक गंभीर ख़तरे के रूप में देखा गया और सभा के घोषणा पत्र में इसे ख़ारिज कर दिया गया। कॉलेजों को "स्वायत्त" स्व-वित्तपोषित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान बनने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जहां सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भी गरीबों की पहुँच से दूर, सालाना कई लाख रुपये की उच्च फ़ीस के साथ अल्पकालिक पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है। एनईपी के तहत बिना किसी प्रामाणिक लाभ के 4-वर्षीय स्नातक डिग्री का शुरू किया जाना भी एक चिंताजनक प्रवृत्ति के रूप में देखा गया। घोषणा पत्र में एक और बात जिस पर चिंता जताई गई वो है विदेशी विश्वविद्यालयों को विद्यार्थी प्रवेश, फ़ीस, और अध्यापकों के चयन को लेकर, खासतौर से विदेशी अध्यापक, पूरी स्वायत्तता के साथ भारत में कैम्पस खोलने का निमंत्रण। घोषणा में यह दर्ज किया गया कि इस मसौदे में आरक्षण के लिए किसी भी बाध्यता को नहीं रखा गया है, जो आंतरिक प्रतिभा के पलायन को जन्म देगा।

घोषणा पत्र में यह भी दर्ज किया गया कि , ग्रामीण कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय संबद्धता समाप्त करने से कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रभावित होगी। सभा ने यह भी नोट किया कि एनईपी के तहत, अनुसंधान अनुदान को अत्यधिक केंद्रीकृत कर दिया गया है और उसमें निजी स्रोत पर निर्भरता की बात है, जो कभी उपलब्ध नहीं रही है। ।

सभा ने इस स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की कि ये सभी अवांछनीय परिवर्तन राज्यों पर थोपे जा रहे हैं। यूजीसी, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय जैसे केंद्रीय संस्थानों और नौकरशाही के साथ-साथ वित्तीय दबावों का इस्तेमाल कर, एनईपी को लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

सभा ने नोट किया कि विभिन्न राज्य सरकारें, शिक्षक संघ, छात्रों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों के संगठन, अन्य लोगों के आंदोलन और गैर सरकारी संगठन, शिक्षाविद और विशेषज्ञ सभी एनईपी का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में, जनता द्वारा विरोध प्रदर्शनों ने सरकारों को नई पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में हुए बदलावों को वापिस लेने के लिए मजबूर किया है या पुरानी किताबों को जारी रखने के लिए कहा है। सभा ने यह भी कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर छात्रों और उनके माता-पिता या अभिभावकों, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग, किसानों, कृषि श्रमिकों, एससी/एसटी/ओबीसी और अन्य मेहनतकश लोगों द्वारा व्यापक आंदोलन करने की आवश्यकता है, जो एनईपी के तहत किये जा रहे इन "सुधारों" से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

सभा ने एक वैकल्पिक जन-समर्थक शिक्षा नीति का आह्वान किया, जो सार्वजनिक शिक्षा पर आधारित हो, जो सभी वर्गों के लिए सुलभ हो और एक आधुनिक, सांस्कृतिक रूप से विविध, न्यायसंगत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय लोगों की क्षमताओं को आगे बढ़ाए। सभा ने एनईपी और इसके अवांछनीय प्रावधानों को उलटने और एक प्रगतिशील जन-समर्थक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की दिशा में काम करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग और समर्थन की माँग की। बीस से अधिक राज्यों और तीस संगठनों के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अकादमिक संस्थानों और विभिन्न सहायक संगठनों की राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए सभा में भाग लिया।

एनईपी: शिक्षा के साम्प्रदायिकीकरण और बाज़ारीकरण का एक माध्यम

आर बिंदू, मंत्री, उच्च शिक्षा, केरल सरकार

(राष्ट्रीय शिक्षा सभा के दौरान दिए गए भाषण की प्रतिलिपि)

सबसे पहले, केरल की वामपंथी और लोकतांत्रिक सरकार की ओर से, मैं शिक्षा पर इस राष्ट्रीय सभा के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूरगामी परिणामों और केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अन्य कदमों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम ऐसे प्रतिगामी उपायों के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराने और भारत में शैक्षिक क्षेत्र में मौजूद लोकतांत्रिक अधिकारों को लूटने के प्रयासों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं।

एनईपी में निहित संभावित खतरों को समझने के लिए, सबसे पहले हमें इसे भारत की वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के साथ जोड़ना होगा। आज हमारे देश में समकालीन सामाजिक-राजनीतिक माहौल की विशिष्टताएँ क्या हैं? हम राजनीतिक फ़ासीवाद और धार्मिक कट्टरता दोनों के शिकार हो गये हैं। राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। साथ ही इतिहास को व्यवस्थित रूप से तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। समाज में कुछ वर्गों के प्रतिनिधित्व में व्यवस्थित विकृति आ रही है। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास से सबाल्टर्न/आधीन हिस्सों, वर्गों, जातियों और लिंग को व्यवस्थित रूप से मिटाया जा रहा है। जिन लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया है, यानी अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को, उन्हें परिधि पर धकेला जा रहा है।

शत्रुता का माहौल बनाकर, नफ़रत की राजनीति या असहिष्णुता की राजनीति के माध्यम से और इन हाशिए पर मौजूद वर्गों पर हिंसक हमले करके, बहिष्कार की राजनीति को मज़बूत किया जा रहा है। भारत के शासकों के कृत्यों और दृष्टिकोणों से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज़ हो जाता है। केंद्र सरकार ने खुद को अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी और जन विरोधी साबित कर दिया है। एक "दूसरा" बनाने की प्रक्रिया और इस "दूसरे" को मिटाने की प्रक्रिया उग्र हो गई है।

राष्ट्रवाद के संकुचित संस्करणों के माध्यम से कुछ वर्गों को "दूसरा" वर्ग का दर्जा दिया जा रहा है और उन्हें अलग-थलग किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रमों से मुगल वंश के संदर्भों को मिटाने के हालिया प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। डार्विन और उनके विकासवाद के सिद्धांत का संदर्भ भी ग़ायब हो गया लगता है। राष्ट्र के बौद्धिक केंद्रों पर चतुराई से कब्ज़ा कर लिया गया है। जेएनयू जैसे इन बौद्धिक केंद्रों के प्रमुख पद हिंदुत्व कट्टरवाद के समर्थकों को दिए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमें एनईपी 2020 के प्रस्तावों पर ग़ौर करना चाहिए।

एक शैक्षिक दस्तावेज़ के रूप में एनईपी 2020 में कुछ गंभीर खामियाँ, चुप्पी, विरोधाभास और अनुपस्थिति हैं। एनईपी अपनी अत्यधिक मौखिक कलाबाज़ियों के साथ आधुनिक शिक्षा की सभी चिंताओं को संबोधित करती प्रतीत होती है, लेकिन वैचारिक संरचना में दरारों और अंतरालों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल के विशिष्ट एजेंडे की गुप्त रूप से तस्करी करती है। यह दस्तावेज़ धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेता है। इसमें कभी भी आरक्षण की आवश्यकता का उल्लेख नहीं आता; सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

वर्तमान भारतीय सन्दर्भ में इन चुप्पियों को आपराधिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वर्तमान प्रतिगामी माहौल में, यह कुछ वर्गों को अलग-थलग करने का एक मौन आरोहण हो सकता है। एनईपी दस्तावेज़ की बारीकी और व्यापक जाँच से ऐसे कई विरोधाभासों का पता चलता है। वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों में जहाँ सांप्रदायिक ताकतें वैश्विक पूंजीवाद और कॉर्पोरेट ताकतों से हाथ मिलाती हैं, हम इस दस्तावेज़ को स्पष्ट रूप से शिक्षा को सांप्रदायिक बनाने और व्यवसायीकरण करने के माध्यम के रूप में देख सकते हैं।

यह दस्तावेज़ निश्चित रूप से शिक्षा के वस्तुकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में योगदान देगा। दस्तावेज़ के प्रावधान निश्चित रूप से व्यावसायीकरण, सांप्रदायिकरण और अभिजात्यवाद की प्रक्रियाओं को गति देंगे। एनईपी 2020 देश के संघीय सिद्धांतों की निंदा करते हुए केंद्रीकरण लागू करने की पैरवी करता है। एनईपी को किसी वैधानिक या सामाजिक जाँच से नहीं गुज़ारा गया है; इसने संसदीय प्रक्रिया की उपेक्षा की है; और सामाजिक लेखापरीक्षा का मज़ाक उड़ाते हुए, इसने यूजीसी के माध्यम से जनता की राय तो आमंत्रित की पर उत्तर देना ज़रूरी नही समझा।

एनईपी 2020, 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की जगह आई है। एक शैक्षिक नीति को पिछले नीति दस्तावेज़ों के प्रभावों, गुणों और अवगुणों की जाँच करनी चाहिए। लेकिन एनईपी कभी भी पिछले नीति दस्तावेज़ों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करती। अधिकांश समय, यह सुदूर अतीत में प्राचीन भारत के गौरव में डूबी रहती है। उस तथाकथित स्वर्णिम काल में क्या स्थिति थी?

समाज अत्यधिक पदानुक्रमित, पिरामिडनुमा और अन्यायपूर्ण था। बहुसंख्यकों को शिक्षा से वंचित कर अंधेरे में रखा गया था। यह एक ऐसा समय था जब एकलव्यों को पढ़ाई करने के लिए अपना अंगूठा काटना पड़ता था। यह वह युग था जसमें घोषणा की जाती थी कि शूद्र और महिलाएँ यदि वेदों का अध्ययन करने का साहस करें तो उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाना चाहिए। सड़े-गले सामंती मूल्यों वाला वह समाज पिछड़े और कमज़ोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों से भरा हुआ था। वर्तमान एनईपी प्राचीन भारत के महिमामंडन के अपने उत्साह में उसी पिरामिडनुमा और उच्च श्रेणीबद्ध सामाजिक संरचना में वापस जाने की कोशिश कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उन्मूलन - एनईपी में कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान किया गया है। सम्बद्धता व्यवस्था का समाप्त होना ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर पहाड़ी एवं तटीय क्षेत्रों के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होगा। पहुँच के मामले में शैक्षिक सुविधाओं की क्षेत्रीय उपलब्धता महत्वपूर्ण है। एनईपी के दावों के बावजूद, यह भारत की शैक्षिक प्रगति के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में विफल रही है। जहाँ एक तरफ़ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लागत, विशेष रूप से स्व-वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के आगमन के साथ, बढ़ रही है, वहीं छात्रों की बढ़ती संख्या न्यूनतम स्तर की शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होती जा रही है।

एनईपी में शिक्षा प्रणाली में एक मूलभूत बदलाव शामिल है जो अत्यधिक प्रतिगामी है। यह बदलाव राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में शिक्षा की अवधारणा से उस अवधारणा तक है जो छात्रों को नवउदारवादी पूंजीवाद के लिए महज चारा बनने के लिए तैयार करती है। और इसके लिए उन्हें सांस्कृतिक अंधराष्ट्रवाद का पुट दिया जाता है। दस्तावेज़ में भारतीयता शब्द को कई बार दोहराया जा रहा है, लेकिन भारतीयता की परिभाषा बहुत संकीर्ण और संकुचित है। भारतीयता का बार-बार किया जाने वाला दावा वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र की अत्यंत संकीर्ण अवधारणा का मार्ग प्रशस्त करता है।

हमारे राष्ट्र की विविधता, बहुलता और विविधता ही भारत की संपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बहुलता और सांस्कृतिक बहुरूपता को एक संपत्ति के रूप में देखने के बजाय, एनईपी इसे विखंडन के रूप में खारिज कर देती है। एनईपी के लिए भारत की सांस्कृतिक विविधता राष्ट्र पर बोझ है। एनईपी द्वारा सुझाए गए राष्ट्र निर्माण के ऊँचे लक्ष्य को हटाना राष्ट्र के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

पहला निष्कासन समावेशिता का है। शिक्षा का क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान का कोई ज़िक्र नहीं है।

यूजीसी को पहले ही यूईसी में बदल दिया गया है - जो निजी स्व-वित्तपोषण प्रतिष्ठान के लिए एक सुविधा मात्र प्रदाता है। एनईपी एक ऐसी शिक्षा की कल्पना करती है जो कॉर्पोरेट हिंदुत्व गठबंधन के हित के अनुरूप हो। दस्तावेज़ में कहीं भी दलितों, ओबीसी या अन्य वंचित समूहों के लिए आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। आरक्षण पर इसकी पूर्ण चुप्पी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए आरक्षण जारी रखने की अनिच्छा को दर्शाती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के मामले में क्या किया है। एनईपी को बहिष्करणीय मानने का एक और कारण यह है कि इसमें शिक्षा के खासे निजीकरण की परिकल्पना की गई है जो स्पष्ट रूप से इसे और अधिक महंगा बना देगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों की जेब के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा।

एनईपी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो छात्रों को बाहर ले जाने वाले दरवाजों से भरी हो। इसका प्रमुख प्रोत्साहन समावेशन के बजाय बहिष्करण प्रतीत होता है। छात्र अलग-अलग चरणों में बाहर जा सकते हैं और तथाकथित स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं: लेकिन वास्तव में, यह संरचना सामाजिक रूप से वंचित समूहों - महिलाओं, श्रमिक वर्ग, ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जाति समूहों - को शिक्षा के संकुचित और संकीर्ण माहौल में धकेल देता है। रोज़गार की आवश्यकता का शोषण करते हुए, शिक्षा प्रणाली न्यूनतम कौशल के साथ छात्र को वैश्विक नौकरी बाज़ार में धकेल देती है जिससे अंततः कॉर्पोरेट नियोक्ता को लाभ होगा।

एनईपी के कुछ प्रमुख वैचारिक आधार हैं: एक ओर, इसका उद्देश्य शिक्षा का व्यावसायीकरण करना है: छात्र कॉरपोरेट द्वारा वैश्विक उपभोग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुएँ हैं; एनईपी का मूल्य संवर्धन पर ज़ोर मनुष्यों को उत्पादों के तौर पर देखता है जिन्हें खासतौर से ढाला जा सके और फिर बेचा जा सके , जिसमें प्रत्येक नया कौशल प्रतिस्पर्धी बाजार में कुछ मूल्य जोड़ देता है।

दूसरी ओर, यह अधिक खतरनाक साम्प्रदायिकता की तस्करी के लिए हल्के ढके-छुपे व्यावसायिकता का उपयोग करती है; संवर्धित केंद्रीकरण और संघीय मूल्यों को कमज़ोर करके, एक केंद्रीय प्रणाली विषय-वस्तु और संचालन को नियंत्रित करेगी। बाहर किए गए लोगों को अधिक से अधिक कुछ कौशलों में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें व्यापक शिक्षा नहीं मिलेगी। एनईपी का दृष्टिकोण यह है कि नवउदारवादी पूंजीवाद की जरूरतों के आधार पर कुछ लोग ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो उन्हें कॉर्पोरेट जगत में कार्यकारी और आधिकारिक पदों को भरने में सक्षम बनाएगी।दूसरों को कुछ चुनिंदा कौशलों के साथ शिक्षा की संभावनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। और वे कार्यबल के उस विशाल और बढ़ते वर्ग में शामिल हो जाएंगे जिनके बीच सीमित संख्या में उपलब्ध नौकरियों का बँटवारा होगा । जो लोग उचित नौकरियाँ प्राप्त करते हैं और उनके लिए नियत हैं, उनके पास एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो महानगरीय विश्वविद्यालयों की नकल करता है। यह शिक्षा को भारतीय परिस्थिति से बिल्कुल अलग कर देगा ।

इस अनुकरणशीलता को छुपाने के लिए, एनईपी छात्रों को अनिवार्य रूप से हिंदुत्ववादीअंधराष्ट्रवाद से भरने का सुझाव देता है। इसमें पाठ्यक्रम का काम प्राचीन भारत के गौरव का बखान करना हो जाता है, जहाँ अस्पृश्यता जैसी भयानक प्रथा मौजूद थी। छात्रों और शिक्षकों के बीच अनुरूपता को बढ़ावा देने की यह पहल एनईपी में व्याप्त है। एनईपी संघवादी सिद्धांतों की उपेक्षा और केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। पूर्व-प्राथमिक स्तर (आंगनवाड़ियों) से लेकर पीएचडी तक सबका नियंत्रण, विनियमन और पर्यवेक्षण आरएसए (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) द्वारा किया जाएगा, जो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक केंद्रीकृत एजेंसी है।

एनईपी इसे हल्के लेकिन कड़े नियम बताती है। इसका उद्देश्य भारत को एक समरूप, अखंड श्रेणी के रूप में फिर से परिभाषित करना है, जिससे इसकी विजातीय पहचान को नष्ट किया जा रहा है। अनुसंधान के विषय एक केंद्रीकृत एजेंसी - राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा तय किए जाएंगे। शोध का विषय एवं शोध समस्या का परिणाम शोधकर्ता की जिज्ञासु प्रवृत्ति से होना चाहिए। इसे किसी बाहरी एजेंसी द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए। समरूपीकरण या एकीकृत पाठ्यक्रम विभिन्नता को मिटा देगा। ऐसा दृष्टिकोण भारत में विभिन्न समाजों की स्थानीय और विशिष्ट सांस्कृतिक बारीकियों को ख़ारिज कर देगा। सभी विश्वविद्यालयों को अपनी विशिष्ट जैविक प्रकृति - अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टताएँ - को जारी रखने का अधिकार होना चाहिए।

राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इसका समाज के पुनर्निर्माण में दूरगामी प्रभाव पड़ता है। एनईपी चार साल के डिग्री कोर्स में कई निकास का प्रस्ताव रखती है। दरअसल एक वर्ष के भीतर एक छात्र को कोई ठोस शिक्षा नहीं मिल पाती है। एनईपी के मुताबिक, छात्रों को एक साल के बाद सर्टिफिकेट और दो साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा। एकाधिक निकास पड़ाव का यह नमूना सामाजिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए खतरनाक है क्योंकि उन्हें शिक्षा छोड़नी पड़ेगी। उन्हें 1 या 2 साल के बाद बिना किसी पर्याप्त मूल्य के प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, जिनका कोई खासा मूल्य नहीं होगा, दे कर संस्थानों से बाहर निकाल दिया जाएगा। संबद्धता प्रणाली को पूरी तरह से ख़त्म करने से निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली से कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों का बहिष्कार हो जाएगा।

संबद्धता प्रणाली की अपनी कई खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसे समाप्त करना नहाने के पानी के साथ बच्चे को फेंकने जैसा लौकिक कार्य है। उच्च शिक्षा तक पहुँच में केरल की उपलब्धियाँ संबद्धता प्रणाली के कारण हैं: उच्च शिक्षा महानगरों में ध्यान केंद्रित करने, जहाँ यह मुख्य रूप से छात्रों के एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की सेवा कर सकती है, के बजाय गाँवों और इसके सामान्य छात्रों तक पहुँच गई। यह एक वैध तर्क हो सकता है कि इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। लेकिन इसका समाधान व्यवस्था को ख़त्म करने में नहीं, बल्कि अन्य माध्यमों से इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने में है।

एनईपी का एक और प्रयास है हर कॉलेज को एक स्वायत्त संस्थान में बदलना। । यद्यपि अकादमिक स्वायत्तता वांछनीय है, लेकिन निजी प्रबंधन को जिस प्रकार की स्वायत्तता की आवश्यकता है वह वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता है, जो ग़रीबों और वंचितों को उच्च शिक्षा की प्रणाली से बाहर कर देगी। शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण, इसके ज़बरदस्त व्यावसायीकरण के साथ, उच्च शिक्षा के उच्च आदर्शों को कमज़ोर और ख़त्म करके इसे एक संरचनात्मक रूप से समायोजित नव-उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में बदल देगा।

महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति को सबसे पहले निष्कासित कर दिया जाएगा क्योंकि वे शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश सबसे अंत में करते हैं। हर तरह से, वर्तमान एनईपी पिछले 75 वर्षों से भारत द्वारा क़ायम रखे गए संघीय सिद्धांतों के लिए ख़तरा है। यदि एनईपी व्यवहार में आती है तो अत्यधिक केंद्रीकरण, अभिजात्यवाद और व्यावसायीकरण भारतीय शिक्षा की पहचान होगी।

केरल में, हम एक वैकल्पिक मॉडल, लोगों का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय संस्थानों में बदल दिया है। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे भौतिक बुनियादी ढाँचे वाले संस्थान। शैक्षणिक गुणवत्ता में भी हमने जबरदस्त सुधार किया है। इसके लिए हमने सरकारी समर्थन को स्थानीय और संस्थागत स्तर की विकास समितियों के साथ, जिनमें स्कूल के सभी लाभार्थी शामिल होते हैं, जोड़ दिया है। । अभी हम उच्च शिक्षा संस्थानों में नवीनीकरण और संरक्षण का माहौल स्थापित करके उच्च शिक्षा क्षेत्र पर ज़ोर और प्राथमिकता दे रहे हैं। हम एक नया ज्ञान समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम ज्ञान अनुवाद की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान परिणामों को व्यावहारिक अनुप्रयोग में अनुवाद करना। अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान का उत्पादन करेंगे जिसे ऐसे उत्पादों और प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया जाएगा जो परिसर के बाहर व्यापक समाज के लिए उपयोगी होंगे। केरल का प्रयोग एक उच्च शिक्षा मॉडल के साथ एनईपी का विरोध करना है जो राज्य और उसके लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

विकल्प की हमारी खोज तीन आयोगों की नियुक्ति के साथ शुरू हुई: एक वैकल्पिक प्रणाली का सुझाव देने के लिए प्रो. श्याम बी. मेनन की अध्यक्षता में एक सुधार आयोग, शिक्षा व्यवस्था की डिजिटल पुनर्संरचना में तेज़ी से सुधार लाने के लिए प्रोफेसर अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक परीक्षा सुधार आयोग, और आधुनिक समय के अनुरूप विश्वविद्यालय कानूनों को फिर से तैयार करने के लिए डॉ. एन के जयकुमार की अध्यक्षता में एक कानून सुधार आयोग।
शुरुआत में, केरल का इरादा एक जन-केंद्रित ज्ञान समाज का निर्माण करना है। ज्ञान समाज का यह मॉडल विकसित, पूंजीवादी समाज द्वारा प्रस्तुत मॉडल से भिन्न है। हमारा मॉडल ज्ञान उत्पादन और अनुसंधान को एक व्यापक समाज तक ले जाने का इरादा रखता है।

केरल अपनी सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था, जो कि सार्वभौमिक रूप से सुलभ है, की ताकत को बढ़ाने का इरादा रखता है -

- अब हमारा मुख्य ध्यान एक ज्ञान अर्थव्यवस्था विकसित करना है जो अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के उत्पादन पर केंद्रित हो
- हम अपने विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा के उद्देश्य से उत्कृष्ट स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित कर रहे हैं
- हमने उन क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए 500 पोस्ट-डॉक्टरल फ़ेलोशिप देने की योजना शुरू की है जो राज्य के विकास में मदद करेंगे।
- हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों में नई प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों को अनुदान दिया है
- अनुसंधान, जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे अनुवादात्मक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं में अनुवादित किया जाएगा। इससे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बहुत योगदान मिलेगा।
- नए विचारों को विकसित किया जाएगा और शोधकर्ताओं को इन विचारों को स्टार्ट-अप विचारों के रूप में स्वयं हमारे शैक्षणिक संस्थानों के साथ बनने वाली स्टार्ट-अप सुविधाओं में उत्पादन के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- छोटी औद्योगिक इकाइयों , कैंपस पर उद्योग जैसी परियोजनाओं और एसएचई (SHE) नामक एक कार्यक्रम जो छात्राओं पर केंद्रित है, की मदद से छात्रों को ऐसे उद्यमियों के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा जो वैश्विक कॉर्पोरेट बाजार में नौकरी खोजने के बजाय खुद रोज़गार प्रदान करते हैं।
- इस प्रणाली की मदद के लिए हम पाठ्यक्रम में सुधार करने की योजना बना रहे हैं। हालाँकि हम चार-वर्षीय प्रवीण पाठ्यक्रम को लागू करेंगें , लेकिन संरचना का मुख्य आधार तीन-वर्षीय कार्यक्रम ही रहेगा। हमारा इरादा अपने छात्रों को तीसरे वर्ष से पहले बाहर निकलने की अनुमति देने का नहीं है। छात्रों को पाठ्यक्रमों के चयन की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाएगी जो उन्हें उनके चुने हुए अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान देगी, पर्याप्त कौशल प्रदान करेगी, और उन्हें ऐसी क्षमताएँ प्रदान करेगी जो उन्हें समकालीन दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी।
- श्याम मेनन आयोग ने 0-4 साल का एक ढांचा तैयार किया है जिसमें कुछ बुनियादी पहलू हैं, प्रमुख और छोटे पाठ्यक्रम हैं, और चौथे वर्ष में कैपस्टोन स्तर की अनुभवात्मक शिक्षा है। ।
- हमने एक मॉडल पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने और बारीकियों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों और जनता के साथ चर्चा करने के लिए एक पाठ्यक्रम समिति नियुक्त की है। अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न स्तरों पर व्यापक चर्चा और परामर्श के साथ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है।

- हम अकादमिक प्रशासन को तेज़ और आसानी से सुलभ बनाने के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग करने का भी इरादा रखते हैं। हमने केरल रिसोर्स फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग (K-REAP) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन और कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जो उच्च शिक्षा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मज़बूती से स्थापित करेगा।
- श्याम मेनन आयोग ने सरकार से अधिकारों के दो चार्टर घोषित करने की भी सिफ़ारिश की है: छात्रों के अधिकार के लिए एक चार्टर और शिक्षकों के अधिकारों के लिए एक चार्टर ताकि उनकी गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। सरकार अब इन चार्टरों का मसौदा तैयार करने में लगी हुई है जिनकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली होगी और साथ ही उच्च शिक्षा में सभी वैधानिक निकायों में उनकी उपस्थिति और भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।
- केरल का उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाना है और इस प्रकार राज्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- यह महज़ एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक मानवीय मिशन है जो विज्ञान, कला, मानविकी और भाषाओं को एक साथ लाकर आर्थिक उत्पादन की ताक़त बनाता है।
- हमने एक कला विद्यालय, आरएलवी कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक एंड फ़ाईन आर्ट्स को बेकार सामग्री से कला वस्तुएं बनाने के संयंत्र के लिए अपनी पहली लघु औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए एक करोड़ रुपये दिए।
- हम एक नया ज्ञान समाज, एक समावेशी समाज बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं जहाँ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विभिन्न वर्गों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को सुरक्षित किया जा सके। यह महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, दिव्यांगों, एससी और एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समान और बेहतर अवसर लाते हुए समतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। हमारा उद्देश्य " सम्भवनायुदे नवा केरलम" का निर्माण करना है यानि - एक संपूर्ण समतावादी दृष्टिकोण वाला एक नया केरल।

आइए हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवम छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त संघर्ष करें। आइए हम अपने राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं की पूरी प्रतिबद्धता से रक्षा करें जिसमें एकता निहित हो - एकता जो समृद्ध विविधता, बहुलता और बहुभाषियों के रंगों से रंगी हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और शिक्षा पर इस राष्ट्रीय सभा के उद्घाटन की घोषणा करती हूँ।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023: गंभीर विकृतियाँ और पुनर्गठन

अनीता रामपाल

हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ तक, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ़) जारी होने के लिए तैयार हो जाएगी। इस साल मई में एक ड्राफ्ट एनसीएफ़ 2023 उपलब्ध कराया गया था। 625 से अधिक पृष्ठों में इसका अर्थ समझने की कोशिश करने वाले अधिकांश पाठकों के लिए यह कठिन लगता है।

एनसीएफ़ 2023 वह नहीं है जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा होनी चाहिए

एनसीएफ़ 2023 वह नहीं है जो एक 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे ' को होना चाहिए - एक मार्गदर्शक दस्तावेज जो एनसीईआरटी और राज्य नोडल संस्थानों को अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तक बनाने में मदद करे। जैसा कि एनसीएफ़ 2005 (जिसमें सिर्फ 125 पृष्ठ थे) में बताया गया था, 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' शब्द को एकरूपता लागू करने के साधन के ग़लत रूप में भी समझा जा सकता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पहले की नीतियाँ जब एक राष्ट्रीय ढाँचे की बात करतीं हैं तो उसका अर्थ एक ऐसा ढाँचा है जो केवल विभिन्न राज्यों में लागू शिक्षा प्रणाली की मदद करे, ताकि वो भारत के विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश के मुताबिक काम कर सके और मूल संवैधानिक मूल्यों को सुनिश्चित कर सके और साथ ही शिक्षा की प्रासंगिकता, लचीलेपन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी ध्यान दे सके।

इसके विपरीत, एनसीएफ़ 2023 एक सूक्ष्म प्रबंधित डिज़ाइन के तहत स्कूल के सभी चरणों के लिए एक अत्यंत विस्तृत योजना तैयार करता है, जिसमें विषय क्षेत्रों का भी विवरण है। पाठ योजना के नमूने के साथ-साथ पाठ्यविवरण को भी रेखांकित किया गया है जिसके साथ सीखने के मानक , पाठ्यक्रम लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम का स्वरूप भी सामने आता है। यहाँ तक कि एक स्कूल के लिए समय आवंटन का सुझाव भी दिया गया है, जैसे कि “25 मिनट की असेंबली और उसके बाद कक्षा तक पहुँचने के लिए 05 मिनट का समय”। और एनसीएफ़ 2023 यहीं तक सीमित नहीं होता - वो यह घोषणा करता है कि विशिष्ट मामलों पर अधिक विवरण के साथ इसके नौ और खंड आएंगे, "एनसीएफ़ के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक डेवलपर्स से लेकर शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं तक सभी द्वारा इसके उपयोग के लिए। । ये आगामी खंड प्रत्येक पाठ्यक्रम क्षेत्र पर होंगे - अर्थात्, भाषाएँ , गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और संगीत, खेल और व्यावसायिक शिक्षा, और साथ ही स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाओं पर एक खंड।

इस अत्यधिक विस्तृत केंद्रीकृत पाठ्यक्रम डिज़ाइन के खिलाफ़ ही एनसीएफ 2005 ने चेताया था जिसका इस्तेमाल देश की संघीय संरचना में शिक्षा की समवर्ती प्रकृति और सांस्कृतिक विविधता और समानता सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका के विपरीत, एकरूपता लागू करने के एक उपकरण की तरह किया जा सकता है। अब यह चिंताजनक है कि एनसीएफ 2023 के आने के बाद कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, और पाठ्यपुस्तकें सीधे तैयार की जाएंगी। सामाजिक विज्ञान की सामग्री पहले ही कई विकृतियों और परिवर्तनों को इंगित करती है।

राज्यों को अपनी संवैधानिक भूमिका को गंभीरता से लेना चाहिए और अपना स्वयं का पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। राज्य के स्थिति पत्र पर पहले ही काफी समय खर्च किया जा चुका है, जिसे केंद्र ने राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा के साथ-साथ तैयार करवाया था। बच्चों में ज्ञान का निर्माण करने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकों को उनके विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में निहित करने की आवश्यकता है।

स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन: प्राथमिक पाठ्यक्रम को कमज़ोर करना

स्कूल प्रणाली के प्रस्तावित समग्र पुनर्गठन में गंभीर समस्याएँ हैं। वर्तमान में स्कूल में 12 वर्ष की अवधि को प्राथमिक विद्यालय (ज्यादातर राज्यों में ग्रेड 1-5, लेकिन कुछ राज्यों में यह ग्रेड 1-4) में संरचित किया गया है, और उसके बाद मिडिल स्कूल (ग्रेड 6-8, या 5-) में संरचित किया गया है।इन्हें मिलाकर प्रारम्भिक स्कूल बनता है (कक्षा 1-8; 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए) जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत है।

लेकिन बिना किसी विस्तृत विश्लेषण या औचित्य के, और बिना किसी प्रणालीगत तैयारी के, एनईपी 2020 ने स्कूल को चार चरणों के 5+3+3+4 डिज़ाइन में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया, जो इस प्रकार है:

(ए) बुनियादी चरण (3-8 वर्ष की आयु के लिए; 3 वर्ष आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल + 2 वर्ष प्राथमिक विद्यालय ग्रेड 1-2),
(बी) प्रारंभिक चरण (8-11 वर्ष की आयु के लिए; ग्रेड 3-5),
(सी) मध्य चरण (11-14 वर्ष की आयु के लिए; ग्रेड 6-8),
(डी) माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष की आयु के लिए; दो चरणों में ग्रेड 9-12: 9-10 उसके बाद 11-12)।

एनसीएफ 2023 के अनुसार, "स्कूली शिक्षा को चार चरणों में विभाजित करने का तर्क बाल विकास की हमारी वर्तमान समझ और विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों में अवधारणाओं के विकास पर आधारित है"। लेकिन यह विडंबनापूर्ण है, क्योंकि बच्चों के वैचारिक विकास पर इसके बयान समस्याग्रस्त और संदिग्ध हैं। प्राथमिक वर्षों में पाठ्यक्रम को जानबूझकर 'सरल और कमज़ोर किया गया है, और प्राथमिक शिक्षा को दो विवादित चरणों में विभाजित किया गया है - "फाउंडेशनल"/बुनियादीऔर इसके बाद आने वाले चरण को भ्रामक रूप से "प्रिपरेटरी" (किस चीज़ की तैयारी?) कहा गया है।

बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण वर्षों (आयु 3-11 वर्ष) में प्रारंभिक भाषा और गणित जैसे स्थापित क्षेत्रों पर ज़ोर देने के बजाय "बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता" (एफ़एलएन) पर एकमात्र ध्यान, बच्चों की स्कूली शिक्षा में एक हानिकारक बदलाव का प्रतीक है। इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 3-5) के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) के महत्वपूर्ण क्षेत्र से वंचित करना बाल विकास के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित भाषा और गणित सीखने के सिद्धांत प्रतिगामी हैं, जैसा कि एनसीएफ़ 2023 के अध्याय 2 में देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत पूर्व-पठन के लिए "स्टेज 0" से होती है, जहाँ बच्चे को स्टेज ज़ीरो पर एक कोरी स्लेट या 'टेबुला रस' माना जाता है ! आधुनिक शिक्षा सिद्धांत बच्चों को इस तरह नहीं देखते हैं।

ध्वन्यात्मकता धारणा की एक सरल समझ होने के कारण एनसीएफ बच्चों की पढ़ने की क्षमता के बारे में कमज़ोर साबित होती है। एनसीएफ मानता है कि स्टेज 1 में बच्चे केवल डिकोडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिंसमें वे "मौखिक ध्वनियों और लिखित प्रणाली के दृश्य प्रतीकात्मक रूप के बीच संबंध बनाते हैं""। वास्तव में, यही एक बड़ी समस्या है कि हमारे स्कूल वर्णमाला में तल्लीन रहते हुए भाषा पढ़ाते हैं। चरण 2 में, जिसे "प्रिंट से मुक्ति" कहा जाता है, यह दावा किया जाता है कि बच्चे डिकोडिंग में 'धाराप्रवाह' हो जाते हैं, पाठ्य प्रतीकों को ध्वनियों में परिवर्तित करते हैं, और इस बोझ से मुक्त होने पर उनका ध्यान पाठ के अर्थ को समझने पर केंद्रित हो सकता है। 'अर्थ' समझने में यह जान-बूझकर की गई देरी बच्चों को पढ़ने में मदद नहीं करती है - वास्तव में, प्रारंभिक और उभरती हुई साक्षरता पर शोध इसके विपरीत कहता है - अर्थ-निर्माण प्रिंट के साथ उनके शुरुआती जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वे जरूरी नहीं कि इन यांत्रिक रूप से परिभाषित चरणों में ही आगे बढ़ें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी में एक रीडिंग सेल की स्थापना की थी जो इस क्षेत्र में काम करती थी और शिक्षकों के लिए सामग्री प्रकाशित करती थी। लेकिन वर्तमान में इस राष्ट्रीय संस्थान को दरकिनार कर दिया गया है, और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आख़िर एनसीएफ़ और पाठ्यपुस्तकों को वास्तव में कहाँ लिखा जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) क्यूँ नहीं - विज्ञान या सामाजिक विज्ञान क्यूँ नहीं?

सबसे निराशाजनक कदम में, एनसीएफ 2023 ने ईवीएस को प्राथमिक विद्यालय में सीखने के तीन मुख्य विषयों में से बाहर कर दिया है। यह एक नया अप्रासंगिक नाम गढ़ता है - 'वर्ल्ड अराउंड अस' ('हमारे आसपास की दुनिया')- जो एक पुस्तक के शीर्षक की तरह लगता है ना कि शिक्षा साहित्य में मान्यता प्राप्त एक नियमित स्कूल विषय। इस महत्वपूर्ण विषय को किसी अप्रमाणित कारण के तहत यह कहकर हटा दिया जाता है कि अंतःविषय होने के कारण शिक्षक इसे पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। यह उसके अपने कथ्य के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ वह बार-बार बहु-विषयक या अंतःविषय पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात करता है। एनसीएफ़ 2023 के अनुसार, शिक्षकों के पास 'हमारे आसपास की दुनिया' को पढ़ाने के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता नहीं है। यह कहता है कि उनके पास विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डिग्री है, लेकिन विज्ञान शिक्षकों की कमी के कारण आम तौर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक इसे पढ़ाते हैं। यह दावा किया जाता है कि ईवीएस के वर्तमान पाठ्यक्रम में जो गतिविधियाँ शामिल हैं, उन्हें आम तौर पर एक अलगाव में कराया जाता हैं और "सीखने के साथ उनकी निरंतरता गायब है"।

प्राथमिक पाठ्यक्रम में ईवीएस को ख़ारिज करने के अपने प्रेरित तर्क के अनुसार , यह शिक्षकों पर ज़िम्मेदारी डालता है, जो इसके मुताबिक प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सामग्री का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक पर्यावरण के बारे में "चर्चा चलाने" में असमर्थ हैं। "एक प्रमुख मुद्दा यह है कि सामाजिक प्रथाएँ और अवलोकन अक्सर स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है और चर्चा की जाती है उसके विपरीत होते हैं – और यह इस विषय के मूल उद्देश्य को विफल करता है।" यदि शिक्षक चिंतनशील नहीं हैं, तो ये प्रथाएँ पाठ्यपुस्तक में दी गई बातों के विपरीत हो सकती हैं। ये संदिग्ध तर्क इस बात पर गंभीर चिंताएँ पैदा करते हैं कि एनसीएफ़ सामाजिक विज्ञानों की भूमिका को कैसे देखता है, जो वास्तव में सामाजिक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने और उन पर सवाल उठाने का काम करते है। क्या एनसीएफ़ यह कहना चाहता है कि जो पाठ्यपुस्तकें समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता का पालन करती हैं और विपरीत सामाजिक प्रथाओं पर सवाल उठाती हैं, उन्हें फेंक दिया जाना चाहिए? या कि ऐसे विषयों को स्कूल में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए? वाक़ई, एनसीएफ़ शिक्षा और शिक्षकों की परिवर्तनकारी भूमिका को कैसे देखता है?

प्रारंभिक चरण (ग्रेड 3-5) में ईवीएस को एक प्रमुख विषय के रूप में हटाने के बाद, एनसीएफ 2023 एक परिवर्तित संस्करण रखता है, जो पाँच पाठ्यचर्या क्षेत्रों के अनुक्रम में अंतिम है, अर्थात् - भाषा, गणित, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और हमारे आसपास की दुनिया (WAU). इससे साफ़ पता चलता है कि इस विषय को भाषा और गणित की तरह महत्व नहीं दिया जाएगा। यह दावा करता है कि हमारे आसपास की दुनिया विषय में ज्ञान की प्रकृति ठोस है, अमूर्त नहीं, और वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई है। इसे अन्वेषण, खोज, संवाद, दौरे, भ्रमण, अवलोकन, कलाकृतियों, कहानियों, कविताओं, लोककथाओं आदि के माध्यम से विकसित किया गया है। ऐसा लगता है कि समय-सारणी में समान पाठ्यपुस्तकों को जगह ना देने के लिए यह सब कहा जा रहा है। हम पहले ही देख चुके हैं कि दिल्ली नगर निगम ने इस वर्ष प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस या डब्ल्यूएयू के लिए कोई पीरियड नहीं दिया है, बल्कि केवल एफ़एलएन - मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए दिया है। यहाँ हम प्रेरित हितों और ताक़तों का संगम देख सकते हैं जिसकी परिणति ईवीएस के सरल और कमज़ोर होने में झलकती है । दरअसल, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट (2021-22) प्रथम संस्था का उल्लेख करती है उसके 'लागत और शिक्षा-प्रभावी मॉडल' के लिए और एनईपी 2020 में एफ़एलएन को लाने के लिए उसके प्रभाव का।

एनसीएफ़ 2023 में चिंता का एक और मुद्दा गतिविधियों का वर्गीकरण है, जैसे कि किचन गार्डन, क्ले मॉडलिंग, या दुकानदारों के साथ बातचीत करना, "पूर्व-व्यावसायिक क्षमताओं" के निर्माण के रूप में। विज्ञान या सामाजिक विज्ञान सीखने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रक्रियाओं को अब 'पूर्व-व्यावसायिक' रूप में दर्शाया जा रहा है। इतनी कम उम्र में व्यावसायिक क्षमताओं की धारणा लाना क्यों महत्वपूर्ण है? कारीगरों या दुकानदारों से सीखना सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। नई तालीम की गांधीवादी प्रणाली ने शिक्षा को एक उत्पादक काम की तरह देखा , जाति से जुड़े व्यवसाय के कलंक को दूर करने, न कि बच्चों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए उत्पादक कार्य को अपनाया।

ईवीएस पाठ्यक्रम 2006

भारत ने प्राथमिक विद्यालय के ग्रेड 3-5 में ईवीएस के साथ शुरुआत करने की एक प्रगतिशील नीति का पालन किया है, जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। 2006 का पाठ्यक्रम विभिन्न 'विषयों' की सूची के साथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि इसके बजाय कुछ व्यापक थीम का उपयोग किया जो परस्पर सम्बद्ध समझ को विकसित करने की अनुमति देते हैं। हमने एक नया प्रारूप विकसित किया है जो मुख्य प्रश्नों से शुरू होता है , उस उम्र के बच्चों की भाषा के करीब, ताकि उनकी सोच को नई दिशाओं में प्रेरित किया जा सके। इस प्रारूप का उद्देश्य पाठ्यपुस्तक लेखकों, शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की अपार संभावनाओं और समझ की गहराई की सराहना करने में मदद करना था, न कि अपेक्षाओं और पाठ्यक्रम को कमज़ोर करना। प्रश्नों के साथ-साथ हमने सुझाए गए संसाधन और गतिविधियाँ भी दीं। हम पहले के ईवीएस पाठ्यक्रम 2006 के कुछ उदाहरणों पर एक नज़र डालते हैं।

एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यक्रम (ग्रेड 3-5) में 'भोजन' से संबंधित कुछ प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों (और शिक्षकों) को इस विचार के प्रति संवेदनशील बनाना है कि जिसे हममें से कुछ लोग 'भोजन' मानते हैं वह सभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है; वह भोजन एक गहन सांस्कृतिक धारणा है। मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण से हटने का एक सचेत प्रयास भी किया गया जो मनुष्यों के प्रभुत्व को मानता है; उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि गाय और भेड़ हमें दूध या ऊन 'देने' के लिए हैं। इसके बजाय सवाल यह पूछने के लिए रखे गए कि हम उनसे क्या 'लेते' हैं।

इन प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि बच्चों को सक्षम, जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और चौकस खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है; ईवीएस के अध्ययन का उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विचारों और प्रक्रियाओं के साथ उनके जुड़ाव का समर्थन करना है। इसलिए एनसीएफ 2023 को इस महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए तत्काल संशोधित करने की आवश्यकता है।

नया माध्यमिक चरण

मौजूदा स्कूल पैटर्न हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेड 11-12 के छात्रों को तीन धाराओं में विभाजित करता है - विज्ञान, कला/मानविकी और वाणिज्य । लेकिन NCF 2023 इसे पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव करता है, यह दावा करते हुए कि नई परिकल्पना विभिन्न धाराओं के पाठ्यक्रमों के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से ग्रेड 9-10 में विस्तार और छात्रों की पसंद के अनुसार कुछ क्षेत्रों में ग्रेड 11-12 में गहराई को सक्षम करेगा।

नए 'माध्यमिक चरण' (ग्रेड 9-12) को दो चरणों में विभाजित करने का प्रस्ताव है:

1. ग्रेड 9 -10 में, आठ व्यापक पाठ्यक्रम क्षेत्र होंगे - मानविकी (जिसमें भाषाएँ शामिल हैं), सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला और अंतःविषय क्षेत्र।

कक्षा 10 को पूरा करने के लिए, छात्रों को आठ पाठ्यक्रमक्षेत्रों में से प्रत्येक से दो आवश्यक कोर्स यानी कुल 16 आवश्यक कोर्स पूरे करने होंगे। ग्रेड 9-10 में एक वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक परीक्षा के संचयी परिणाम के आधार पर अंतिम प्रमाणीकरण होगा।

2. ग्रेड 11-12 में, छात्रों को कम से कम तीन पाठ्यक्रम क्षेत्रों में से विषयों (जैसे, इतिहास, भौतिकी, भाषा) को चुनना होगा । उनके द्वारा चुने गए प्रत्येक विषय के लिए, उन्हें उस में चार पसंद-आधारित कोर्स पूरे करने होंगे। यह माध्यमिक चरण सेमेस्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक पसंद-आधारित कोर्स एक सेमेस्टर (संभवतः छह महीने) के लिए होगा। 12वीं कक्षा पूरी करने के लिए, छात्रों को 16 पसंद-आधारित कोर्स पूरे करने होंगे।

तालिका 1 : माध्यमिक चरण पाठ्यचर्या क्षेत्र और अनुशासन (एनसीएफ 2023)

पाठ्यक्रम क्षेत्र (प्रत्येक विषय के अंतर्गत चार कोर्स)

1	मानविकी	भाषाएँ, साहित्य, दर्शन
2	सामाजिक विज्ञान	इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
3	विज्ञान	भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान
4	गणित और कंप्यूटिंग	गणित, कंप्यूटर विज्ञान, व्यावसायिक गणित
5	कला	संगीत, नृत्य, रंगमंच, मूर्तिकला, चित्रकारी, फ़िल्म-एप्रिसिऐशन, पटकथा लेखन, सेट डिजाइन
6	व्यावसायिक शिक्षा	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ़) के अनुरूप
7	खेल	विशिष्ट खेल/खेल/योग पर खेल पाठ्यक्रम
8	अंतःविषय क्षेत्र	वाणिज्य, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य (सार्वजनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य), मीडिया और पत्रकारिता, परिवार और सामुदायिक विज्ञान (गृह विज्ञान का वर्तमान स्वरूप), भारत का ज्ञान/भारतीय ज्ञान, परंपराएँ और प्रथाएँ /भारतीय ज्ञान प्रणाली, क़ानूनी अध्ययन। सूची को लगातार बढ़ाया जा सकता है।

एनसीएफ़ में कहा गया है कि छात्रों के पास विशिष्ट क्षेत्रों और विषयों को चुनने का 'विकल्प' है (तालिका 1 देखें), जिसे वे अपनी रुचियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर तय करेंगे। लेकिन, 'पसंद' का यह मुद्दा सबसे भ्रामक है - मौजूदा धाराओं में भी अधिकांश छात्र चयन नहीं कर सकते हैं - यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उनके स्कूल में कौन सी धाराएँ उपलब्ध हैं, और शिक्षक स्कूल परीक्षणों और ग्रेड 10 की बोर्ड परीक्षाओं में अपने अंकों के साथ-साथ उनकी क्षमताओं को कैसे देखते हैं।

पसंद का गोरखधंधा

वहाँ गंभीर समस्याएँ दिखाई देती हैं जहाँ एनसीएफ़ 'माध्यमिक विद्यालयों के लिए नतीजे ' का उल्लेख करता है। सभी छात्रों को 10वीं कक्षा पूरी करने के लिए, सभी माध्यमिक विद्यालयों को सभी पाठ्यक्रम क्षेत्रों में आवश्यक कोर्स प्रदान करने होंगे । एनसीएफ़ यह स्वीकारता है कि कई स्कूल ग्रेड 11 और 12 में विषयों की पूरी श्रृंखला की पेशकश करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।

छात्रों को एक " वाजिब विकल्प" देने की अनुमति देने के लिए, एनसीएफ़ का प्रस्ताव है कि माध्यमिक विद्यालयों को, शुरुआत में, प्रत्येक निम्नलिखित श्रेणियों में से कम से कम एक पाठ्यक्रम क्षेत्र की पेशकश करनी चाहिए :

- श्रेणी 1: मानविकी या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान या गणित और कंप्यूटिंग
- श्रेणी 2: अंतर-विषयक क्षेत्र
- श्रेणी 3: कला या खेल या विशिष्ट खेल/खेल/योग पर पाठ्यक्रम।

यहीं वह समस्या है, जहाँ माध्यमिक स्तर पर तथाकथित 'पसंद' के विस्तार और गहराई का आधार विफल हो जाता है। उपरोक्त न्यूनतम शर्त, स्कूलों को अत्यंत संकीर्ण और समस्याग्रस्त पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य के साथ कार्य करने की अनुमति दे देगी। उदाहरण के लिए, स्कूल निम्नलिखित तीन श्रेणियों में पाठ्यक्रम क्षेत्रों की पेशकश कर सकते हैं:

1. मानविकी: इनमें से कोई भी अनुशासन - भाषाएँ, और साहित्य
2. अंतर-विषयक क्षेत्र: भारत का ज्ञान/भारतीय ज्ञान प्रणाली, परिवार और सामुदायिक विज्ञान (गृह विज्ञान का वर्तमान स्वरूप),
3. खेल: किसी भी खेल, या योग पर पाठ्यक्रम कोर्स।

यह आविष्कारी संरचना कम लागत वाले निजी संस्थानों के लिए अपने दरवाज़े खोलती है जो संदिग्ध गुणवत्ता के अलग अलग कोर्स विकल्प देंगे, और उन संस्थानों के लिए भी जो सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा समर्थित भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ़) में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल किया गया है और अब विद्या या सैद्धांतिक विषयों, और कला या व्यावहारिक विज्ञान और व्यावसायिक शिल्प की एक सूची जोड़ी गई है, जिन्हें स्कूली शिक्षा के दौरान क्रेडिट अर्जित करने के लिए गिना जाएगा।

एनसीएफ़ पाठ्यक्रमों की ऐसी संरचना को वैधता प्रदान करता है जिसमें सावधानीपूर्वक विभेदित कोर्स वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को संकुचित पाठ्यक्रम के बंद ख़ाँचों में क्रमबद्ध करने का काम करते हैं। । लचीली 'अंतःविषय शिक्षा' की धारणा और 'पसंद' की जुमलेबाज़ी, जो कि विशिष्ट आईबी स्कूल पाठ्यक्रम में उपलब्ध है, के द्वारा एनसीएफ़ 2023 मध्यम वर्ग को एक ख़ुशफ़हमी का एहसास दिलाती है।

दिल्ली सरकार जो 'शिक्षा क्रांति' के लिए अपनी पीठ थपथपाती है, वह अपने बोर्ड परिणामों को अच्छा दिखाने के लिए छात्रों को छाँटने और उन्हें ओपन स्कूल प्रणाली में धकेलने के लिए भेदभावपूर्ण तरीकों का उपयोग करती है। जहाँ तक 'विकल्प' की बात है, सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब से पता चला है कि दिल्ली में एक तिहाई से भी कम स्कूल कक्षा 11-12 में विज्ञान के विषय की पेशकश करते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग विज्ञान विषयों के लिए प्रयोगशालाएँ ही नहीं हैं, ना ही पर्याप्त सुविधाएँ हैं, और ना ही शिक्षक और ऊपर से विज्ञान विषय में दाखिले का पात्र होने के लिए छात्रों को कक्षा 10 में 50-55 प्रतिशत अंक भी नहीं मिलते हैं। नीतियाँ और रूपरेखाएँ काग़ज़ पर वादे पेश कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि ऐसी व्यवस्था ग़रीब और वंचित वर्ग को केवल उदासीन गुणवत्ता वाली शिक्षा और काग़ज़ी प्रमाणपत्र देती है, यहाँ तक कि 'स्मार्ट शहरों' और भरपूर संसाधन वाले शहरी वातावरण में भी।

यह आश्चर्य की ही बात है कि बिना हमारी मौजूदा स्कूल प्रणालियों के कठोर मूल्यांकन के, जिसमें वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली की तैयारियों पर अध्ययन हो, इतना बड़ा बदलाव कैसे प्रस्तावित किया गया। उदाहरण के तौर पर, ग्रेड 9-10 के लिए एकीकृत 'सामान्य विज्ञान' की शुरुआत के कई वर्षों बाद भी, शिक्षक इस पाठ्यक्रम के शिक्षाशास्त्र को पढ़ाने में आश्वस्त महसूस नहीं करते हैं, यह दावा करते हुए कि उन्होंने या तो जीव विज्ञान, या रसायन विज्ञान या भौतिकी – किसी एक विषय का ही अध्ययन किया है। पाठ्यपुस्तकों में भी इनमें से किसी एक ही विषय के अध्याय होते हैं, क्योंकि रचनात्मक 'अंतःविषय' शैक्षणिक सामग्री विकसित करना उतना सरल नहीं है जितना दावा किया जाता है।

यह एक बड़ा सवाल है कि ये नई नीतियाँ और स्कूल संरचनाएँ हमारे छात्रों की 'पसंद' और आकांक्षाओं को संबोधित करने में किस हद तक सक्षम हैं, विशेष रूप से वंचितों के संदर्भ में , जिन्हें 'उत्कृष्टता' के चमकदार मुखौटे के चलते शिक्षा प्रणाली से शुरुआत में ही बाहर निकाल दिया जाता है। चिंता की बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक अनिश्चित स्थिति में है, जो बेशर्मी से गुणवत्ता और समानता की चिंताओं को त्याग रही है,व्यावसायिक 'कंटेंट क्रिएटर्स' के लिए दरवाज़े खोल रही है, और ऐसे कोर्स पेश कर रही है जो गिग अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता के साथ तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं।

अनीता रामपाल, भूतपूर्व प्रोफ़ेसर और डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय ; वह एनसीएफ़ 2005 के दौरान प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक समितियों की अध्यक्षा भी थीं; वर्तमान में वह केरल सरकार की पाठ्यक्रम संशोधन की कोर समिति की सदस्या हैं।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पर वक्तव्य

(अभियान, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस उल्लेख और अन्य भाषा अनुवाद के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पर एआईपीएसएन वेबसाइट पेज देखें)

(नोट: अगस्त 7 को संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 पारित हुआ; राज्य सभा में यह ध्वनि मत से पारित हुआ)

कथन

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 एक ऐसी इकाई की स्थापना करके विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड (एसईआरबी) अधिनियम, 2008 को प्रतिस्थापित करना चाहता है जो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नहीं होगी, धन के लिए कॉरपोरेट्स, परोपकारी निकायों और अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशनों पर निर्भर होगी, और निर्णय लेने में केंद्रीकृत होगी जिसमें प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में निर्णय लेंगे और सभी विषयों और अनुप्रयोग के क्षेत्रों में अकादमिक अनुसंधान की दिशाओं को नियंत्रित करेंगे। हालांकि एनआरएफ को लागू करने के लिए मूल तर्क यह दिया गया था कि इससे राज्य विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक संस्थानों के रूप में मज़बूत करने के लिए धन के प्रवाह को पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

"नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023" की दोबारा जाँच की जानी चाहिए। व्यापक मूल्यांकन के लिए इस विधेयक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजें। संसदीय समिति को विकास प्राधिकरणों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित विभागों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एनआरएफ़) विधेयक, 2023, जिसे हाल ही में संसद में पेश करने के लिए कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी दी गई है, ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक व्यापक चर्चा शुरू की है। भारत के नीति निर्माण के हालिया इतिहास और केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बनाए गए विधानों में उल्लेखनीय घोषणाएँ हैं , लेकिन इनके परिणाम घोषित विधायी और नीतिगत उद्देश्यों के माध्यम से उठाई गई अपेक्षाओं से काफी कम हैं।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के संदर्भ में, अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च दुनिया में सबसे कम है। 2022 में, भारत ने R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.65% खर्च किया। R&D पर विश्व का औसत व्यय 1.8% है। जो लोग भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका (2.9%), चीन (2.2%) और इज़राइल (4.9%) जैसे विकसित देश कहीं अधिक खर्च करते हैं। BRICS देशों में भारत सबसे निचले पायदान पर है. पिछले दो दशकों से अधिक समय से, नीतियों का घोषित उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम दो प्रतिशत आवंटित करना रहा है। पिछले दो दशकों के दौरान, न केवल 2% का लक्ष्य क्रमिक सरकारों द्वारा भुला दिया गया, बल्कि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर खर्च को 2000 के दशक की शुरुआत में 0.8% से घटाकर अब लगभग 0.65% कर दिया गया। भारत का $43 प्रति व्यक्ति जीईआरडी, दुनिया में सबसे कम में से एक है। भारत के BRICS और ASEAN में समकक्ष देश जैसे रूस (285), ब्राज़ील (173), और मलेशिया (293) का प्रदर्शन काफी बेहतर है।

अनुसंधान एवं विकास के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति कहीं अधिक परेशानी भरी है। 2020 में, भारत में प्रति 10 लाख निवासियों पर केवल 262 शोधकर्ता थे। चीन प्रति दस लाख निवासियों पर दस गुना अधिक शोधकर्ताओं को रोज़गार देता है। जर्मनी में प्रति दस लाख पर 6995 शोधकर्ता कार्यरत हैं। 2020 में, कोरिया गणराज्य दुनिया में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 8714 शोधकर्ताओं के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद इज़राइल (8342), स्वीडन (7930), डेनमार्क (7692), फिनलैंड (7527) और सिंगापुर (7287) रहे।

सकल घरेलू उत्पाद में जीईआरडी की हिस्सेदारी सरकारी क्षेत्र में 0.40% (2013) से घटकर 0.37% (2018) और व्यावसायिक उद्यम क्षेत्र में 0.27% (2013) से घटकर 0.24% (2018) हो गई। हालाँकि उच्च शिक्षा क्षेत्र में R&D व्यय में नाममात्र की वृद्धि हुई (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में GERD 2013 में .04% से बढ़कर 2018 में .05% हो गया, लेकिन उच्च शिक्षा क्षेत्र में पूर्णकालिक समकक्ष (FTE) शोधकर्ताओं में 2015 में 39.96% से 2018 में 36.48% की गिरावट आई। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्ताओं की संख्या 2015 में 30.32% से घटकर 2018 में 23.13% हो गई। भारत में उच्च शिक्षा के लगभग 40,000 संस्थान हैं और इनमें से 1200 से अधिक पूर्ण विश्वविद्यालय हैं। इनमें से केवल 1% ही कार्यरत हैं। राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और नवाचार के माहौल को मज़बूत करने के लिए शिक्षकों और शोधकर्ताओं को स्थायी पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता है।

एनआरएफ़ ब्लॉक अनुदान की अनुमति नहीं देगा और केवल नियत-समय के अनुसंधान कर्मचारियों के लिए ही अनुदान देगा। एनआरएफ के घोषित उद्देश्यों में से एक है कि एनआरएफ विधेयक, 2023 अनुसंधान के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को पहले से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर वित्त पोषण देना चाहता है। वर्तमान में राज्य विश्वविद्यालयों का शोध व्यय मात्र 3% है। आईआईटी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) फंडिंग के प्रमुख प्राप्तकर्ता रहे हैं। बोर्ड की कुर्सी पर बैठ प्रधानमंत्री नतीजे नहीं बदल पाएंगे। नतीजे राज्य सरकारों की भागीदारी से बदले जा सकता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) ने राज्य विश्वविद्यालयों की स्वास्थ्य स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की शुरुआत की।

एनआरएफ़ में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों या केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को शामिल करने की कोई संभावना नहीं है। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ संयुक्त योजना सुनिश्चित नहीं कर सकते। एनआरएफ़ अनुसंधान पर निर्णय लेने को केंद्रीकृत कर रहा है। इसमें कॉरपोरेट्स और विशिष्ट संस्थानों को फ़ायदा मिलेगा। यह अंततः उपक्रमों के लिए कई विभिन्न स्रोतों की ऊर्जा के इस्तेमाल की संभावना को कमज़ोर करेगा। संयुक्त तरह से योजना बनाना एक अधिक प्रभावी तरीका है किसी भी मिशन की विविधता और बहुलता को साकार करने के लिए, ख़ासतौर से ऐसे वक़्त में जब दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे ख़तरे खड़े हों। एनआरएफ़ विधेयक, 2023 विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड (एसईआरबी) अधिनियम, 2008 को प्रतिस्थापित करना चाहता है। एसईआरबी अधिनियम, 2008 की ही तरह एनआरएफ भी कई उद्देश्यों से लैस है। यह ऐसे वित्त पोषण कार्यक्रम विकसित करना चाहता है जो हमारे समाज की ज़रूरतों से जुड़े हों और कुछ ऐसे प्रमुख वैज्ञानिक प्रश्नों, बुनियादी विज्ञान और अनुप्रयोग दोनों के तहत, की पहचान करना चाहता है जिनका सामाजिक मूल्य हो। इसने जोखिम भरा होने पर भी वैचारिक रूप से नई दिशाओं का समर्थन करने का दावा किया है।

सहयोग की संस्कृति की कमी को देखते हुए, सामाजिक समस्या-उन्मुख अनुसंधान विश्वविद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनने जा रहा है। परिणामस्वरूप, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में किए जा रहे अधिकांश शोध बहु-विषयक और अंतःविषय अभिविन्यास के बजाय विषय-विशेष अभिविन्यास वाले रहे हैं। अनुवाद संबंधी शोध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नवप्रवर्तन अनुसंधान नहीं है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समाज की ज़रूरतों से जोड़ने की चुनौती से जुड़ा है।

एनआरएफ़ को आंशिक रूप से सरकार द्वारा और बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र और परोपकारी अनुदान स्रोतों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अनुदान संरचना बेह-डोल (Bayh-Dole) प्रकार के एक मज़बूत बौद्धिक संपदा तंत्र की स्थापना की माँग करेगी जिसका शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विरोध किया गया है। एनआरएफ़ के कार्यकारी निर्णयों को 15-25 प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं और पेशेवरों से बनी एक संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। निर्णय लेने की संरचना में एनआरएफ और एसईआरबी में केवल एक अंतर है, और वह यह कि एनआरएफ़ के तहत प्रधान मंत्री संचालक मंडल की अध्यक्षता करेंगे।

एनआरएफ़ को ज़रूरत है कि इन महत्वपूर्ण घटकों - राज्यों, संबंधित मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र – को एक ऐसे तरीक़े से साथ लाए जिससे इनके बीच संयुक्त योजना को बढ़ावा मिले, क्योंकि इन घटकों के साथ आए बिना एनआरएफ फिर से एसईआरबी की तरह विफल हो जाएगा। भारत के प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने और भविष्य में वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता बनने के लिए अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश एक पहली शर्त है। एक मज़बूत स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास वातावरण के बिना, भारत घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करने में सफल नहीं होगा, जो देश को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व करने में सक्षम बना सकता है, और जिनका उपयोग समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकता है। एनआरएफ विधेयक 2023 से लगता है कि सरकार अनुसंधान के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने में अनिच्छुक है। एनआरएफ़ के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये के आवंटन में, 70% निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, और केवल 30% बजटीय संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एनआरएफ़) विधेयक 2023 की वैज्ञानिक समुदाय द्वारा समग्र रूप से खुली जाँच की आवश्यकता है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन विभाग संबंधित स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। समिति को एनआरएफ़ बिल, 2023 पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए राज्य सरकारों, राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों, राज्य एस एंड टी परिषदों, संबंधित मंत्रालयों, विकास प्राधिकरणों और सीपीएसई और राज्य क्षेत्र के पीएसयू के सीईओ को आमंत्रित करना चाहिए।

यूजीसी पाठ्यक्रम के नाम, नामकरण परिवर्तन पर प्रतिक्रिया

(एआईपीएसएन ने डिग्री विनिर्देश और नामकरण परिवर्तन के संबंध में यूजीसी परिपत्र का जवाब दिया। प्रतिक्रिया यूजीसी को भेजी गई थी और नीचे दी गई है)

डिग्री विनिर्देश पर अधिसूचना की समीक्षा करने और फ़ीडबैक के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए नए डिग्री नामकरण का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफ़ारिश पर एआईपीएसएन की प्रतिक्रिया।

1. एआईपीएसएन का कहना है कि एनईपी-2020 के आधार पर डिग्री के विनिर्देश और नए नामकरण पर यूजीसी की सिफ़ारिश एक जल्दबाज़ी में लिया क़दम है क्योंकि कई राज्यों ने अभी तक एनईपी-2020 को लागू तक नहीं किया है। जल्दबाज़ी में लिए गए इस निर्णय से उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि कई निजी विश्वविद्यालयों ने एनईपी को लागू करना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्यों ने अभी तक लागू नहीं किया है। यह छात्रों के बीच एक बड़ा विभाजन पैदा करेगा। इससे निजी विश्वविद्यालयों को इस नए सामान्य नाम से पैसा कमाने में मदद मिलेगी।

2. भारत जैसे देश में जहाँ एनईपी के अनुसार उच्च शिक्षा में लगभग 23% भर्ती है, झटके से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट और बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के साथ चार साल की डिग्री शुरू करना संभव नहीं है। यह भी पाया गया है कि कई छात्र तीसरे वर्ष के अंत में अपना डिग्री कोर्स छोड़ देते हैं (दिल्ली का अनुभव)

3. चूंकि कई राज्य विश्वविद्यालयों ने चार साल की डिग्री के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित नहीं की है, इसलिए नए नामकरण को लागू करना उचित नहीं है जिसका हश्र निश्चित रूप से सीबीसीएस और ओबीई की विफलता जैसा होगा।

4. न्यूनतम पीजी डिग्री होने पर चार साल का डिग्री कोर्स संभव है। लेकिन कई कॉलेजों, विशेष रूप से ग्रामीण कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम नहीं हैं और इसलिए चार साल के डिग्री पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने से उनके बंद होने का ख़तरा बढ़ जाएगा, जिससे ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा और निश्चित रूप से 2030 तक 50% जीईआर का लक्ष्य ख़ारिज हो जाएगा।

5. यूजीसी की नंबर 2 सिफ़ारिश के अनुसार एक छात्र को कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि को दरकिनार करते हुए, आवश्यक संख्या में क्रेडिट अर्जित करने के बाद योग्यता (जैसे प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री) प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि की परवाह किए बिना, केवल क्रेडिट के संचय के आधार पर योग्यता प्रदान करने से, शैक्षिक अनुभव और सीखने की प्रक्रिया का अवमूल्यन होगा। हालाँकि क्रेडिट-आधारित दृष्टिकोण लचीलापन प्रदान करता है, क्रेडिट अर्जित करने और शैक्षिक अनुभव की अखंडता और गुणवत्ता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। क्रेडिट संचय और कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि दोनों पर ज़ोर देने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि छात्रों को एक सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त हो जो उन्हें उनके चुने हुए क्षेत्रों के लिए तैयार करती है और वास्तविक बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। किसी कार्यक्रम का कठोर पाठ्यक्रम और संरचना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं कि छात्रों के पास विषय सामग्री को पढ़ने , चर्चा में शामिल होने और विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त समय हो। केवल क्रेडिट अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करने से छात्रों को अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में गुणवत्ता से अधिक मात्रा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विषयों में गहराई से उतरने और व्यापक समझ हासिल करने के बजाय, छात्र आवश्यक क्रेडिट जमा करने के लिए सबसे तेज़ और आसान मार्ग अपनाने के इच्छुक होंगे, जो संभावित रूप से उनके समग्र शैक्षणिक विकास से समझौता करेगा।

यह क्रेडिट-आधारित दृष्टिकोण छात्रों को विषय वस्तु पर पूरी तरह से महारत हासिल किए बिना आवश्यक संख्या में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्रेडिट अर्जित करने के लिए जल्दबाज़ी वाला दृष्टिकोण किसी विशेष क्षेत्र में सही मायने में विशेषज्ञता के लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई और तर्कसंगत वैचारिक कौशल को कमज़ोर कर सकता है। यह छात्रों को अतिरिक्त सीखने के अवसरों, जैसे अनुसंधान परियोजनाओं, इंटर्नशिप, या अन्य अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने से भी हतोत्साहित करेगा। जटिल अवधारणाओं से जुड़ना, चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम से जूझना, और ज्ञान के प्रतिबिंब और एकीकरण के लिए समय रखना एक मज़बूत शैक्षिक अनुभव के आवश्यक घटक हैं। क्रेडिट पर एकमात्र ध्यान छात्रों की आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक तर्क और रचनात्मकता विकसित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा। क्रेडिट-आधारित दृष्टिकोण को किसी कार्यक्रम के वास्तविक शैक्षिक मूल्य पर नौकरशाही प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने के रूप में माना जा सकता है। इससे शैक्षिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है और अर्जित योग्यताओं का अवमूल्यन हो सकता है, क्योंकि इसे अकादमिक कठोरता और उपलब्धि के प्रतिबिंब के बजाय केवल संख्यात्मक खेल के रूप में देखा जा सकता है। अर्जित डिग्रियों के नामकरण का यह अभिजात्यवाद अंततः बेरोज़गारी और बढ़ते हुए आर्थिक विभाजन को जन्म देगा।

6. जब बीएस, एमएस जेनेरिक नाम आमतौर पर इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों को दिए जाते हैं, तो अब ग़ैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए इनका सुझाव देना उचित नहीं है। इससे संस्थानों को सामान्यीकृत शब्दावली के नाम पर पैसा कमाने में मदद मिलेगी।

7. आईआईएसईआर (मुंबई), आईआईएससी (बैंगलोर) चार साल के कोर्स और कई अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम चलाने और ऐसी डिग्री प्रदान करने में सक्षम हैं। क्या ग्रामीण कॉलेजों, जिनके पास ऐसे बुनियादी ढांचे नहीं है, द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों में ऐसी गुणवत्ता होगी?

8. जब दूसरे देशों में बी.फ़िल और एम.फ़िल जारी है तो एम.फ़िल डिग्री की पढ़ाई हटाना उचित नहीं है।

9. केवल डिग्रियों के नामकरण में बदलाव से वांछित परिणाम नहीं मिलेगा जब तक कि इसके साथ पाठ्यक्रम सामग्री, अपेक्षित बुनियादी ढाँचे, भौतिक और शैक्षणिक दोनों क़िस्म के, और बेहतर शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया का तालमेल न बिठाया जाए। इस प्रतिमान विस्थापन के लिए संरचनात्मक और शैक्षणिक पहलुओं में बदलाव शिक्षा प्रणाली में बदलाव के आवश्यक हिस्से हैं और ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक चर्चा की मांग करते हैं जिसे सार्वजनिक चर्चा के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके सुनिश्चित किया जा सकता है।

10. एआईपीएसएन शुरू से इस बात पर ज़ोर देता आया है कि हमें चार साल की डिग्री और बहु-विषयक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बुनियादी ढाँचे , पाठ्यक्रम ढाँचे और आवश्यक अनुदान और मापदंड सुनिश्चित करने होंगे। उसके बाद ही हम डिग्री के नामकरण के बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा, नए नामकरण के तहत डिग्रियों की गुणवत्ता पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है और निजी खिलाड़ियों को शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की अनुमति दे रही है।

11. ये परिवर्तन पहली पीढ़ी के छात्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे और उनके बीच उच्च शिक्षा छोड़ने की दर में वृद्धि होगी।

सदस्य संगठन

असम साइंस सोसायटी, असम
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), बिहार
हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति, हिमाचल प्रदेश
भारत ज्ञान-विज्ञान समुदाय, महाराष्ट्र
हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति, हरियाणा
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), कर्नाटक
जन विज्ञान वेदिका (JVV), आंध्र प्रदेश
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), ओडिशा
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), पंजाब
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), राजस्थान
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), त्रिपुरा
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), उत्तर प्रदेश
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (BGVS), उत्तराखंड
प्रौद्योगिकी और विकास केंद्र (सीटीडी), दिल्ली
दिल्ली विज्ञान मंच (डीएसएफ़), दिल्ली
एकलव्य, मध्य प्रदेश
फ़ेडरेशन ऑफ़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FMRAI)
वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों का फ़ोरम (FOSET)
ज्ञान-विज्ञान समिति, असम
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (बीजीवीएस), झारखंड
नवनिर्मिति, महाराष्ट्र
जन विज्ञान वेदिका (जेवीवी), तेलंगाना
कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद् (केआरवीपी), कर्नाटक
केरल शास्त्र साहित्य परिषद् (केएसएसपी), केरल
भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (बीजीवीएस), मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश विज्ञान सभा (एमपीवीएस), मध्य प्रदेश
पश्चिम बंग विज्ञान मंच (पीबीवीएम), बंगाल
पांडिचेरी विज्ञान मंच (पीएसएफ़), पांडिचेरी
समाज के लिए विज्ञान, झारखंड
प्रौद्योगिकी और विकास सोसायटी (एसटीडी), हिमाचल प्रदेश
तमिलनाडु विज्ञान मंच, तमिलनाडु
बंगीय साक्षरता प्रसार समिति, बंगाल
छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, छत्तीसगढ़
एलोरा विज्ञान मंच, असम
हरियाणा विज्ञान मंच, हरियाणा
हिमाचल विज्ञान मंच, हिमाचल प्रदेश
जन बिग्यान ओ प्रजुक्ति, ओडिशा
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अधिकारी संघों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनसीओएसीपीएसयू)
जन संवाद समिति, उत्तराखंड
बिज्ञान मंच, त्रिपुरा

संपर्क करें:

AIPSN केंद्रीय सचिवालय,
ई-8/46, आकाशगंगा कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462039
फ़ोन: 9425302012
वेबसाइट: https://aipsn.net
ईमेल: aipsnpeoplescience@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा सभा - माँग पत्र

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- मौजूदा ईसीसीई नीति 2013 को मज़बूत किया जाना चाहिए और एक नया ईसीसीई का अधिकार अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।
- प्री-स्कूल/या नर्सरी कक्षाएं सरकारी स्कूलों में नहीं लगाई जानी चाहिए।
- एनईपी के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने या उनके विलय पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।
- निजीकरण और सरकारी स्कूलों को निजी या परोपकारी प्रबंधन को सौंपने पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बजाय, सभी सरकारी स्कूलों को अच्छे बुनियादी ढाँचे, पर्याप्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अच्छे शिक्षक-छात्र अनुपात के साथ उन्नत किया जाना चाहिए।
- पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ दूर-दराज़ ज के जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ी अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का केंद्रीकरण बंद किया जाए। केंद्रीकृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) को थोपना बंद किया जाना चाहिए और इसके बजाय, एनसीएफ़ एफ को राज्यों को अपना पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
- केंद्रीयकृत परीक्षाओं, विशेषकर कक्षा 3, 5, 8, 10 के बाद होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं, की व्यवस्था को वापस लिया जाना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक से लेकर 10+2 तक के सभी छात्रों को नाश्ता और मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए और इसके लिए भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए।
- एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के तथाकथित "युक्तिकरण" को वापस लिया जाना चाहिए और पहले की पाठ्य पुस्तकों को बहाल किया जाना चाहिए।
- आरटीई को उसकी सच्ची भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए और इसका दायरा 12वीं कक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, की व्यवस्था को ध्वस्त करना बंद किया जाना चाहिए।
- प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फा फ़ाउंडेशन (NRF) का उपयोग राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के भीतर शिक्षण और अनुसंधान के कार्यक्रमों को मज़बूत करने के लिए किया जाना चाहिए।
- सभी प्रकार की परीक्षाओं को अनावश्यक रूप से केंद्रीकृत करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ-साथ सीयूईटी और नीट परीक्षाओं को भी समाप्त कर देना चाहिए।
- चार साल के अंडर-ग्रेजुएट कोर्स से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। पूरे 3 साल पूरे होने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- उच्च शिक्षा में बढ़ते लैंगिक अंतर को तत्काल रोका जाना चाहिए। लड़कियों/महिलाओं की शिक्षा पर सभी योजनाओं, विशेष रूप से छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री के लिए सहायता आदि के संबंध में इस आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ तुरंत बहाल किया जाना चाहिए।
- छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच शिक्षा के सभी चरणों और स्तरों पर LGBTQIA+ व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्रवेश स्तर पर विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों के लिए पीएच.डी. अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
- उच्च शिक्षा के संचालन के लिए सभी समितियों में पर्याप्त महिला, दलित और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व सहित निर्वाचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(यह माँगपत्र का संक्षिप्त रूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं - https://aipsn.net/wp-content/uploads/2023/07/Ed-Assembly-CoD-Hindi.pdf